भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

भाग - I

ई-निविदा: मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया के अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाना और व्यू कटर लगाना

बोली लगाने वाले का नाम:

_____

पिन कोड के साथ डाक पता:

_____

फ़ोन / फ़ैक्स / मोबाइल नंबर:

_____

ईमेल:

_____

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना, सख्त वर्जित है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अनुक्रमणिका

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
	अस्वीकरण	06
	भाग I - टेक्नो-कमर्शियल बिड	
खंड I	**ई- निविदा की समय-सारणी (एसओटी)**	07
खंड II	**ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश** ई-निविदा से जुड़े आवश्यक निर्देश (एमएसटीसी पर बोली लगाने के निर्देश और एमएसटीसी से संपर्क करने की जानकारी)	09
खंड III	**बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश** (संभावित बोलीदाताओं को बोलियां तैयार करने और जमा करने में सहायता के लिए निर्देश)	
खंड III (क)	**बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश**	13
खंड III (ख)	बोलियों का मूल्यांकन	20
खंड IV	**अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें** (शर्तें जो अनुबंध को नियंत्रित करेंगी)	
खंड IV (a)	काम का दायरा	21
खंड IV (ख)	अनुबंध की सामान्य शर्तें और नियम	23
खंड V	**विभिन्न खंडों के अनुलग्नक**	
अनुलग्नक I	निविदा का प्रपत्र	44
अनुलग्नक II	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का फ़ॉर्मेट	47
अनुलग्नक III	बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर अंडरटेकिंग	48
अनुलग्नक IV	सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा निषेध (डिबार) किए जाने की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र	49
अनुलग्नक V	बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में वचन-पत्र का फॉर्मेट	51
अनुलग्नक VI	करार की शर्तें	52
अनुलग्नक VII	भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा	57
अनुलग्नक VIII	परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	58
परिशिष्ट	**सामान्य नियमों और शर्तों का परिशिष्ट**	63
	भाग II – वित्तीय /प्राइस बिड	
खंड VI	**वित्तीय /प्राइस बिड**	69

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) ने यह दस्तावेज़ इच्छुक बोलीदाताओं को 'मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटि एरिया की भीतरी बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और व्यू कटर लगाने' के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालाँकि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी न तो बैंक और न ही इसके कोई अधिकारी या एजेंसियाँ, और न ही उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार, इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई दावा (साफ़ तौर पर या परोक्ष रूप से) करते हैं।

यह जानकारी पूरी नहीं है। इच्छुक बोली लगाने वालों को खुद से जानकारी जुटानी होगी और जवाब देने वालों को लिखित रूप में यह कन्फर्म करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है। साथ ही, उन्हें यह भी बताना होगा कि 'एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया की अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने और (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने' के लिए निविदा जमा करते समय वे सिर्फ़ बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी जा रही है कि यह बैंक या उसके किसी अधिकारी, एजेंसी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है। बैंक के पास यह अधिकार है कि वह काम को आगे न बढ़ाए, काम के कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करे, इस डॉक्यूमेंट में बताए गए टाइमटेबल/शेड्यूल में बदलाव करे या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या तरीके को बदल दे।

इसके अलावा, यह अधिकार भी सुरक्षित है कि निविदा जमा करने वाले किसी भी बोली लगाने वाले के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार किया जा सके। एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और सिक्योरिटी एरिया में अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने के लिए निविदा जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति या बोली लगाने वाले को किसी भी तरह खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अगर इस दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेज़ी पाठ के अर्थ में कोई अंतर होता है, तो अंग्रेज़ी पाठ का अर्थ ही मान्य होगा।

खंड I : निविदा की समय-सारणी (एसओटी)

निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

क्रम सं.	मद	विवरण
1.	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/दिल्लीक्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/26-27/ ईटी/201
2.	निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग, नई दिल्ली फ़ोन नंबर: 011-23353075 ईमेल आईडी: gpcnewdelhi@rbi.org.in
3.	कार्य का नाम	**मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया के अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और व्यू कटर लगाने के लिए ई-निविदा**
4.	स्थान	6, संसद मार्ग, नई दिल्ली
5.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम निविदा सिर्फ एमएसटीसी लि. के ई-निविदा पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) के ज़रिए की जाएगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा।
6.	निविदा की अनुमानित लागत	**₹11.85 लाख** (ग्यारह लाख पचासी हज़ार रुपये मात्र), जिसमें सभी लागू जीएसटी/टैक्स और सीपीओएएच शामिल हैं।
7.	वह तारीख जब एनआईटी पक्षों को डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध होगी	02 जुलाई, 2026 को शाम 05:00 बजे से
8.	बोली-पूर्व बैठक की तारीख और स्थान	30 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे ऑफ़लाइन। स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पहली मंज़िल, नई दिल्ली।
9.	बयाना राशि (ईएमडी)	शून्य

10.	https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ई-निविदा (ईएमडी का सबूत, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) के ऑनलाइन सब्मिशन आरंभ होने की तारीख	30 जुलाई, 2026 को शाम 05:00 बजे से
11.	ई-निविदा (टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड) के ऑनलाइन सबमिशन की अंतिम तिथि और समय	11 अगस्त, 2026 को दोपहर 02:00 बजे
12.	भाग-I यानी टेक्नो-कमर्शियल बिड खोलने की तारीख और समय	11 अगस्त, 2026 को दोपहर 03.00 बजे (बोली लगाने वालों के अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में, जो मौजूद रहना चाहें)
13.	भाग II यानी प्राइस बिड खुलने की तारीख	भाग II (प्राइस बिड) अगली तारीख को खोला जाएगा, और क्वालिफाइड बिडर्स को ईमेल से इसकी जानकारी दी जाएगी। (जो बिडर्स मौजूद रहना चाहें, उनके अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में)
14.	बोली की वैधता	निविदा के पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) के खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन) तक—जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है—बिडर निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेंगे।
15.	लेदनदेन शुल्क	**एमएसटीसी द्वारा प्रभारित शुल्क** **एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान**

खंड II

ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले 'निविदा आमंत्रण सूचना' और उसके बाद जारी किए गए किसी भी संशोधन को पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) रजिस्ट्रेशन: इस प्रोसेस में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है, जो मुफ़्त है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वेंडर अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट के ज़रिए की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप का डिजिटल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बिडिंग करने की व्यवस्था खुद करनी होगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (डिजिटल सिग्नेचर के बिना बोलियाँ रिकॉर्ड नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: प्राइस बिड और कमर्शियल बिड...

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्ज़न 3) पर ऑनलाइन जमा किया गया।

1) वेंडर को https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें -- जानकारी भरें और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, 'डाउनलोड गाइड / वीडियो / रजिस्ट्रेशन' पर जाएं।

2) वेंडर को रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम-जनरेटेड ईमेल मिलेगा। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क विवरण (एमएसटीसी Ltd.):

क) **एमएसटीसी एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क नंबर**: 07969066600
ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट में "एचओ हेल्प डेस्क" ज़रूर लिखें)
उपलब्धता: सभी वर्किंग डेज़ पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक - सभी टेक्निकल समस्याओं, ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए।

ख) संपर्क व्यक्ति (उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय – दिल्ली):

(i) अर्चना, मैनेजर, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल- 9990673698
ईमेल- nroopn10@mstcindia.in

(ii) श्रीमती रूपाली पांडे, उप प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल – 9458704037
ईमेल – nroopn11@mstcindia.in

(iii) श्री मनोज पांडे, उप प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल – 9727700986
ईमेल - nroopn8@mstcindia.in

पता	मेल आईडी	संपर्क
30/31ए जीवन विकास बिल्डिंग, पहली मंजिल, आसफ अली रोड (हमदर्द के सामने), नई दिल्ली - 110 002	mstcnro@mstcindia.in	(011) 23212357, (011) 23215163, (011) 23217850

(iv) आरबीआई, नई दिल्ली में संपर्क व्यक्ति

1.श्री संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक
संपर्क नंबर.:011-23353075
ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in, estatenewdelhi@rbi.org.in
1. श्री सुरेश सिंह, प्रबंधक
संपर्क नंबर.:011-23353075
ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in, estatenewdelhi@rbi.org.in

आवेदन प्रक्रिया के लिए गाइड-
1.सिस्टम की ज़रूरतें:
जानकारी के लिए, वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध 'डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड' देख सकते हैं।

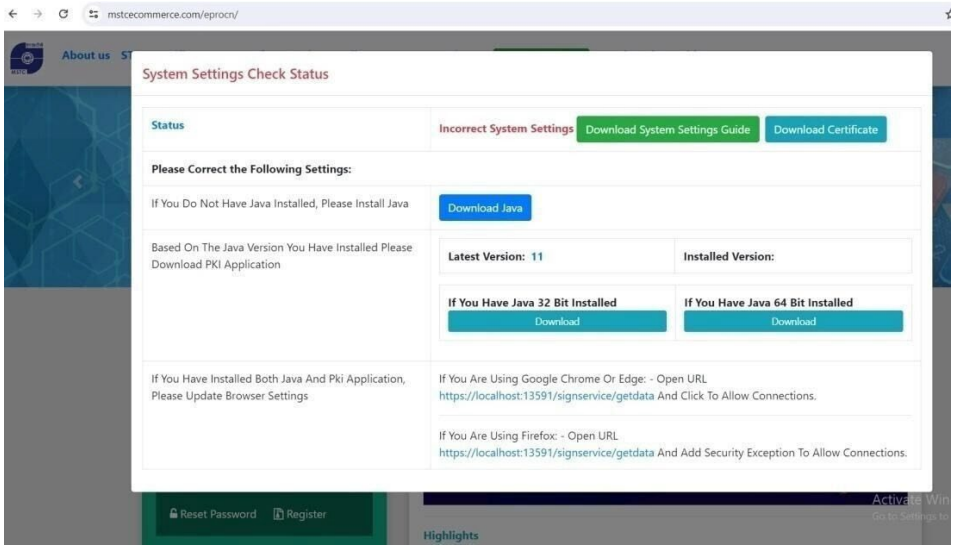

2. ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के बारे में विशेष नोट:

वेंडर अपने लॉगिन के ज़रिए "बिड फ्लोर" में किसी विशेष निविदा के लिए "ट्रांजैक्शन फी पेमेंट" लिंक का इस्तेमाल करके या "इवेंट कैटलॉग" में "पे ट्रांजैक्शन फी" के ज़रिए एमएसटीसी को ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट करेंगे। बिडर/सर्विस प्रोवाइडर/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए पेमेंट करने की सुविधा होगी। एनईएफटी चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/ठेकेदार/वेंडर एक फ़ॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर/ठेकेदार/वेंडर चालान पर छपी जानकारी के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फ़ीस की रकम जमा करेंगे, बिना उसमें कोई बदलाव किए। ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की सुविधा होगी। जैसे ही पेमेंट एमएसटीसी के तय बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अपने-आप अधिकृत हो जाएगी।

ट्रांज़ैक्शन फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान किए बिना वेंडर ऑनलाइन ई-निविदा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

नोट: बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के बंद होने के समय से काफी पहले ही ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बोली लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. वेंडर को यह पक्का करना होगा कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ रजिस्ट्रेशन के समय दी गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल-आईडी सही और अपडेटेड हो। वेंडरों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप वाले डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैलिडिटी पक्का कर लें।

4. एनआईटी (निविदा के लिए आमंत्रण सूचना) में बताई गई तय तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

5. ई-निविदा में बोली लगाना:

ध्यान दें: वेंडरों को निर्देश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 'माई मेनू' में मौजूद "अपलोड डॉक्यूमेंट" लिंक का इस्तेमाल करें। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 5 एमबी हो सकता है।

एक बार जब लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, तो वेंडर किसी विशेष ई-निविदा के लिए "अटैच डॉक्यूमेंट" लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ई-निविदा के साथ अटैच नहीं किए जाते हैं, तो आरबीआई उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

क) बिडर को ई-निविदा के लिए ज़रूरी ईएमडी, ई-निविदा फ़ीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अलग-अलग जमा करनी होगी। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस (अगर कोई हो) नॉन-रिफंडेबल होगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बिडर की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।

ख) इस प्रक्रिया में टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

जिन बोली लगाने वालों ने ऊपर बताई गई फीस जमा कर दी है, वे ही अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड और

प्राइस बिड इंटरनेट के ज़रिए एमएसटीसी की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com → e-procurement → न्यू कॉमन पोर्टल → लॉगिन → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ़्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → सलेक्शन ऑफ लाइव इवेंट → ट्रांज़ैक्शन फ़ीस → कॉमन टर्म्स → अटैच डॉक्यूमेंट → प्राइस बिड पर जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: ट्रांज़ैक्शन फ़ीस और ईएमडी की जानकारी सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, वेंडर के लॉगिन में 'अटैच डॉक्यूमेंट्स' और 'कॉमन टर्म्स' टैब चालू हो जाएंगे। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद, वेंडर लॉट से जुड़ी शर्तें सेव कर सकेंगे और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड सबमिट कर सकेंगे, या प्राइस बिड सबमिट करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे (जैसा भी मामला हो)। अगर 'अटैच डॉक्यूमेंट्स' और/या 'कॉमन टर्म्स' सेव करने का चरण सफल नहीं होता है, तो लॉट से जुड़ी शर्तें सेव करने और प्राइस बिड सबमिट करने के टैब बंद (डिसेबल) रहेंगे। यह प्रक्रिया सफल रही या अभी पेंडिंग है, इसका स्टेटस 'बिड स्टेटस' बटन में दिखाई देगा।

ग) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन (अगर कोई हो) भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बिड भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा होने के बाद, "प्राइस बिड" लिंक एक्टिव हो जाएगा और उसे भरना होगा, फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर जब टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "डिलीट बिड" ऑप्शन दिखाई देगा। अगर वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बिड डिलीट करके उसे फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे 'डिलीट बिड' पर क्लिक करना चाहिए, उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और दोबारा 'फाइनल सबमिशन' पर क्लिक करना चाहिए।

घ) सभी मामलों में, बिडर को अपनी बिड सबमिट करते समय अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए।

ङ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बिडर एक-दूसरे से और बाकी सभी लोगों से पूरी तरह अनजान (गुमनाम) रहेंगे।

च) ई-निविदा फ्लोर पहले से बताई गई तारीख और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

छ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान सबमिट की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड बिडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बिड को उस बिडर द्वारा दी गई वैलिड बिड माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने पर खरीदार और बिडर के बीच सप्लाई/काम पूरा करने के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बनेगा। ऐसे सफल बिडर को इसके बाद सप्लायर/ठेकेदार कहा जाएगा।

ज) यह ज़रूरी है कि सभी बिड क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, वरना सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।

झ) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

ञ) ई-निविदा डॉक्यूमेंट की शर्तों और नियमों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बिडर द्वारा ई-निविदा फ्लोर पर बिड सबमिट करना ई-निविदा की शर्तों और नियमों को स्वीकार करने की पुष्टि करता है।

ट) ई-निविदा फ्लोर में माप की इकाई (यूओएम) बताई गई है। कोट की जाने वाली दर भारतीय रुपये में होनी चाहिए, जो ई-निविदा/निविदा डॉक्यूमेंट में बताई गई यूओएम (माप की इकाई) के अनुसार हो।

खंड III – बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश

खंड III (क) - बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1.	**परिभाषाएं**
	खंड IV (ख) का क्लॉज़ 1 उन परिभाषाओं का विवरण देता है जो पूरे निविदा डॉक्यूमेंट पर लागू होंगी।
2.	**स्पष्टीकरण और प्री-बिड मीटिंग**
	i. अगर बोली लगाने वालों को इस दस्तावेज़ के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे इस दस्तावेज़ में दिए गए ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप में संपर्क करें या प्री-बिड मीटिंग के दौरान सवाल पूछें। सवाल प्री-बिड मीटिंग शुरू होने से पहले भेजे जाने चाहिए। ii. बोली लगाने वालों के तय प्रतिनिधियों को एसओटी में बताई गई तारीख पर प्री-बिड मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। इस मीटिंग का मकसद उन मुद्दों को स्पष्ट करना और उन सवालों के जवाब देना होगा जो उस चरण में उठाए जा सकते हैं। प्री-बिड मीटिंग में शामिल न होने पर किसी बोली लगाने वाले को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालाँकि, प्री-बिड मीटिंग के बाद निविदा से जुड़े किसी भी सवाल पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी बदलाव या शर्त के साथ प्राप्त निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
3.	**साइट यात्रा**
	बोली लगाने वाले को इस दस्तावेज़ {खंड-IV (क)} में बताए अनुसार **एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया की अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और व्यू कटर लगाने का काम करना** होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे साइट पर जाकर वहां की स्थितियों को समझ लें। साइट पर जाने का खर्च बोली लगाने वाले को ही उठाना होगा। यह माना जाएगा कि निविदा के दस्तावेज़ जमा करने से पहले बोली लगाने वाले ने साइट का दौरा कर लिया है और उन्हें वहां के कामकाज और साइट की स्थितियों की जानकारी है।
4.	**निविदा दस्तावेज़ में संशोधन**
	(i) निविदा/बोली जमा करने की समय-सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से - चाहे अपनी पहल पर हो या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा पूछे गए सवाल या स्पष्टीकरण के जवाब में - संशोधन के ज़रिए निविदा दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकता है। यह संशोधन आरबीआई की वेबसाइट (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) पर अपलोड किया जाएगा। (ii) ऐडेंडम/संशोधन के रूप में किया गया यह संशोधन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा। यदि कोई ऐडेंडम जारी किया जाता है, तो वह अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा बन जाएगा। (iii) संभावित बोलीदाताओं को ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियाँ तैयार करने के लिए उचित समय देने के उद्देश्य से, बैंक अपनी मर्ज़ी से बोलियाँ जमा करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

5.	**रोक**	
	बोली लगाने वाले को निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से प्रतिबंधित/अयोग्य ठहराया जा सकता है:	
	(1)	अगर यह तय हो जाता है कि बोली लगाने वाले ने ईमानदारी के नियमों का उल्लंघन करते हुए नीचे बताई गई हरकतें की हैं या काम नहीं किए हैं: (i) क. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने या प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम, उपहार या किसी भी तरह का भौतिक लाभ देने का प्रस्ताव रखना, मांगना या स्वीकार करना। ख. कोई ऐसी बात छिपाना या गलत जानकारी देना जिससे किसी को गुमराह किया जा सके या गुमराह करने की कोशिश की जा सके, ताकि वित्तीय या अन्य लाभ मिल सके या किसी दायित्व से बचा जा सके। ग. कोई मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति पर बुरा असर पड़ सकता है। घ. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने या निजी फायदे के लिए, खरीद करने वाली संस्था द्वारा बोली लगाने वाले को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना। ङ. बोली लगाने वाले और खरीद करने वाली संस्था के किसी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध को पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के फैसले को प्रभावित कर सकता है। च. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या हानि की धमकी देना या दबाव डालना। छ. खरीद प्रक्रिया की किसी जांच या ऑडिट में बाधा डालना। ज. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या ठेका हासिल करने के लिए झूठी घोषणाएं करना या गलत जानकारी देना। (ii) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहे। (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में की गई किसी भी पिछली चूक का खुलासा करने में विफल रहना, या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान/इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया जाना।

	(2)	अगर बोली लगाने वाला 'कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी' (सत्यनिष्ठा संहिता) का उल्लंघन करने के अलावा कोई ऐसा काम करता है या कोई ज़रूरी काम नहीं करता है, जिसके कारण बैंक को लगता है कि उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए—जैसे कि घटिया क्वालिटी का सामान सप्लाई करना, सामान सप्लाई न करना, काम बीच में ही छोड़ देना, काम की क्वालिटी खराब होना, या निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि।
	(3)	अगर बोली लगाने वाले को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, जिसमें सार्वजनिक खरीद अनुबंध को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान हुआ हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हुआ हो।
	बोली लगाने वाले को अनुलग्नक IV में दिए गए फ़ॉर्मैट में एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।	
6.	**बोली की तैयारी और बोली लगाने की लागत**	
	i. बोली लगाने वाले को निविदा भरने और अनुबंध करने के लिए ज़रूरी सभी जानकारी खुद अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्च पर हासिल करनी होगी। साथ ही, उसे काम की जगह का मुआयना करना होगा और वहाँ के सभी स्थानीय हालात, काम की जगह तक पहुँचने के रास्ते, काम की प्रकृति और उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लेनी होगी। ii. यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले ने काम और साइट की स्थितियों (जैसे लेबर), बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों, और अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों को ध्यान से देखा है, और निविदा में बताई गई दरों को तय करने के लिए अपनी खुद की जांच-पड़ताल की है। इस संबंध में, उसे बैंक के पास मौजूद ज़रूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उस जानकारी के पर्याप्त और सही होने की कोई गारंटी नहीं होगी। iii. बोलियां और उनके साथ के सभी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी या हिंदी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज़ों के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों के बीच कोई अंतर या अस्पष्टता होती है, तो अर्थ समझने के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा।	
7.	**इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मेट**	
	बोली लगाने वाले को केवल बैंक द्वारा जारी निविदा फॉर्म/फॉर्मेट ही भरने, उन पर साइन करने और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इनमें उन्हें वे रेट बताने होंगे जिन पर वे काम करने के लिए तैयार हैं। अगर निविदा में बताए गए काम या काम पूरा करने के लिए दिए गए समय में कोई बदलाव का प्रस्ताव किया जाता है, या किसी भी तरह की अन्य शर्तें (जैसे सशर्त छूट) शामिल होती हैं, तो ऐसे निविदा रद्द किए जा सकते हैं। सभी ज़रूरी जानकारी, दस्तावेज़ वगैरह भी सिर्फ़ एमएसटीसी पोर्टल पर ही अपलोड किए जाने चाहिए।	
8.	**आइटम रेट निविदा**	

	बोली लगाने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा पूरी तरह से आइटम रेट (हर आइटम की दर) के आधार पर है। उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर आइटम की दर सही, काम के लायक और अपने आप में पूरी होनी चाहिए। 'शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज' (मात्राओं की सूची) में दी गई मात्राएँ काम के कुल दायरे का लगभग अंदाज़ा देती हैं, लेकिन इनमें किसी भी हद तक बदलाव हो सकता है या इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे ठेका की कुल कीमत बदल सकती है। 'शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज' में बताए गए हर आइटम की मात्रा में प्लस (+) या माइनस (-) 25% तक के बदलाव के लिए भी बताई गई दरें स्थिर रहेंगी।
9.	**दरें भरना**
	i. हर आइटम की रकम का हिसाब लगाया जाना चाहिए और ज़रूरी कुल रकम तय कॉलम में लिखी जानी चाहिए। ii. अगर किसी आइटम के लिए कोई रेट नहीं बताया गया है, यानी रकम वाली जगह खाली छोड़ दी गई है, तो निविदा को अधूरा माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। iii. निविदा खुलने के बाद रेट या शर्तों में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
10.	**बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में वचन-पत्र**
	बोली लगाने वाले को यह गारंटी देनी होगी कि किसी भी कानूनी अधिकार-क्षेत्र में किसी भी कारण से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और बोली लगाने वाले को लगता है कि इससे निविदा डॉक्यूमेंट के अनुसार ज़रूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसे उस कार्रवाई (कार्रवाइयों) का विवरण देना होगा। बोली लगाने वाले को उन कामों का विवरण भी देना होगा जिनमें सिविल मुक़दमे / कानूनी विवाद / मध्यस्थता के मामले शुरू किए गए थे या चल रहे हैं। बोली लगाने वाले को ऊपर दी गई जानकारी अनुलग्नक V में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार देनी होगी।
11.	**बोली पर हस्ताक्षर, मुख्तारनामा**
	i. बिडर्स को निविदा के पार्ट-I के साथ ऑनलाइन एक 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' जमा करनी होगी। यह सही कीमत वाले स्टाम्प पेपर पर होनी चाहिए और इसे नोटरी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। यह पावर ऑफ़ अटॉर्नी उस व्यक्ति के पक्ष में होनी चाहिए जो बिड के डॉक्युमेंट पर डिजिटल रूप से साइन कर रहा है। इसमें उसे बिड के डॉक्युमेंट पर साइन करने, उनमें सुधार/बदलाव करने, बैंक से बातचीत करने और संपर्क व्यक्ति के तौर पर काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पावर ऑफ़ अटॉर्नी का प्रोफार्मा 'एनेक्ज़र II' (अनुलग्नक II) के अनुसार होगा। ii. निविदा जमा करने वाले अधिकृत व्यक्ति को निविदा के सभी दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए। यह इस बात का प्रमाण होगा कि उन्होंने सामान्य नियमों और बोली लगाने वालों के लिए निर्देशों (जिसमें पात्रता मानदंड, अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें, और अन्य निर्धारित नियम व शर्तें शामिल हैं) को अच्छी तरह से समझ लिया है।

12.	**बोलियों में बदलाव / प्रतिस्थापन / वापसी**
	एनआईटी/एसओटी में बताए गए निविदा जमा करने की तय तारीख और समय के बाद, जमा की गई बोली में कोई बदलाव, उसे बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
13.	**बोली जमा करने की अंतिम तिथि**
	एनआईटी / एसओटी में बताई गई तय तारीख और समय पर या उससे पहले एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा की जानी चाहिए। बैंक विशेष हालात में और अपनी मर्ज़ी से बोली जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा सकता है।
14.	**देर से लगाई गई बोलियां**
	एनआईटी/एसओटी में बोली जमा करने के लिए बताई गई तारीख और समय के बाद, या अगर बोली जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है तो उस बढ़ी हुई तारीख के बाद, कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
15.	**बोली की वैधता**
	निविदा (भाग I) खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन) की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए निविदा मान्य रहेगा। आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और बोली लगाने वाला/वाले इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेंगे।
16.	**निविदा की स्वीकृति और कार्य का आवंटन**
	(i). बैंक से निविदा मंज़ूर होने की सूचना मिलने पर, सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध लागू करना होगा और वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें ये शामिल होंगे: - (क) दिल्ली/नई दिल्ली में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार सही कीमत वाले नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एनेक्ज़र VI में बताए गए फ़ॉर्मेट में करार (जिसे दो भाषाओं में साइन किया जाना है)। स्टाम्प पेपर का खर्च ठेकेदार उठाएगा। बैंक ठेकेदार को करार की एक सर्टिफाइड कॉपी देगा। (ख) निविदा के लिए आमंत्रण नोटिस, निविदा बुलाते समय जारी किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स, जारी किए गए कोई भी सुधार, प्री-बिड मीटिंग के कार्यवृत्त और उनकी मंज़ूरी, साथ ही इससे जुड़ी कोई भी अन्य बातचीत। (ii) जब तक सफल बोली लगाने वाला अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक किए गए काम के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसलिए, फ़ॉर्मेट में करार (जिसे दो भाषाओं में साइन किया जाना है) पर हस्ताक्षर करने से पहले पेमेंट के लिए पहला बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। (iii) इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी निविदा को लिखित रूप में स्वीकार करने पर बैंक और सफल बोली लगाने वाले के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा, चाहे बाद में कोई औपचारिक करार किया जाए या नहीं।

	(iv) सफल बोली लगाने वाले को काम की सूचना मिलने के पांच दिनों के भीतर या बैंक द्वारा तय किए गए बाद के समय में पूरा काम संभालना होगा।
17.	**काम पूरा करने का समय**
	काम पूरा करने के लिए समय-सीमा वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 14वें दिन से शुरू होकर 60 दिन की है। अगर ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे अनुबंध की रकम का 0.25% प्रति हफ़्ते के हिसाब से हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेज) देना होगा, जो पूरे काम के लिए अनुबंध की रकम के अधिकतम 10% तक हो सकता है। निविदा भरने वाले को काम का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना होगा (जिसमें बार चार्ट के ज़रिए गतिविधियों को दिखाया गया हो), जिसे बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी।
18.	**टैक्स / शुल्क / लेवी**
	i. इस अनुबंध के तहत लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी), परचेज़ टैक्स, टर्नओवर टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी या किसी भी अन्य टैक्स का भुगतान ठेकेदार को करना होगा और आरबीआई इस संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। ii. प्राइस बिड में बताई गई रकम में सभी टैक्स शामिल होंगे, जिनमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटी, लेवी और रॉयल्टी या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया कोई भी अन्य टैक्स शामिल है।
19.	**किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार**
	i. ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, बैंक के पास अनुबंध देने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली (बिड) को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और ऐसा करने पर संबंधित बोली लगाने वाले (बिडर्स) के प्रति बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होगी। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। ii. जो निविदा 'केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' और/या किसी अन्य श्रम कानून के अनुरूप नहीं होंगे, उन्हें अमान्य माना जाएगा।
20.	**ज़मीनी सीमा संबंधी प्रावधान -**
	सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 जुलाई, 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) एफ नं. 6/18/2019-पीपीडी के ज़रिए जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) में जोड़े गए प्रावधानों, इसके तहत जारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर और उनमें बाद में किए गए बदलावों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में, बोली लगाने वाले को अनुलग्नक - VII में दिए गए फ़ॉर्मेट के अनुसार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत सील और हस्ताक्षरित अपने लेटरहेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी। अगर बोली लगाने वाले का जमा किया गया अंडरटेकिंग/घोषणा-पत्र/सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, तो वर्क ऑर्डर तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट/सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करना भी शामिल हो सकता है। साथ ही, बैंक भविष्य में अपने निविदा में बोली लगाने वाले को शामिल होने से रोक भी

	सकता है।
21.	**रिटेंशन मनी / सिक्योरिटी डिपॉज़िट**
	i. बैंक, ठेकेदार को किए जाने वाले हर पेमेंट में से किए गए काम की वैल्यू का 5% हिस्सा 'रिटेंशन मनी' के तौर पर काटेगा। ii. रिटेंशन मनी जारी करना: 'डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड' (दोष देयता अवधि) पूरा होने पर और उस अवधि के दौरान बताई गई खामियों को ठीक करने के बाद। iii. बैंक के पास रोकी गई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
22.	**परफॉर्मेंस बैंक गारंटी**
	काम मिलने के 14 दिनों के भीतर, सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की 'परफॉर्मेंस बैंक गारंटी' (पीबीजी) जमा करनी होगी। यह गारंटी किसी शेड्यूल्ड बैंक से 'अनुलग्नक VIII' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार होनी चाहिए, या फिर पीबीजी के बराबर राशि ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी / आरटीजीएस) से जमा की जा सकती है। पीबीजी के बारे में और जानकारी खंड IV(ख) के क्लॉज़ 2 में दी गई है।
23.	**बिल भुगतान**
	काम पूरा होने के बाद ही अंतिम बिल बनाया जाएगा; रनिंग अकाउंट बिल का कोई प्रावधान नहीं होगा।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड III (ख) – बोलियों का मूल्यांकन

(i) सबसे कम कीमत (एल1) वाले बोली लगाने वाले को अनुबंध देने पर विचार किया जाएगा।

(ii) अगर दो या उससे ज़्यादा बोली लगाने वालों की सबसे कम बोली की रकम एक जैसी है, तो ऐसे बोली लगाने वालों से कहा जा सकता है कि वे अपनी पहले से बताई गई बोली की रकम पर छूट देते हुए एक नया (संशोधित) ऑफर सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा करें। इसके अलावा, अगर ऐसा कोई बोली लगाने वाला अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली ही आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम बोली का फ़ैसला संशोधित ऑफर के आधार पर किया जाएगा। अगर संशोधित ऑफर में दो या उससे ज़्यादा बोली लगाने वालों की संशोधित बोली की रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाली फ़र्म को अनुबंध देने पर विचार किया जाएगा।

(iii) हालांकि, बैंक सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास किसी भी बोली को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(iv) बैंक के पास बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड IV (क) - काम का दायरा

किए जाने वाले कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है -

काम का नाम: - एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया के अंदर की बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाना और व्यू कटर लगाना।

1. सिविल कार्य और नींव

वॉच टावर की मज़बूती (स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी) के लिए, ज़मीन की निचली परतों (सब-स्ट्रेटा) से लेकर ऊपर तक, ठेकेदार ज़िम्मेदार है।

खुदाई और ज़मीन की तैयारी: तय गहराई तक हर तरह की मिट्टी (नरम चट्टान सहित) की खुदाई। तल को ठीक करना, समतल करना और अच्छी तरह दबाकर बिठाना (ramming); इसमें पानी निकालना और अतिरिक्त मिट्टी को साइट से बाहर ले जाकर फेंकना भी शामिल है।

लेवलिंग कोर्स (PCC): पेडस्टल के लिए एक समान आधार बनाने के लिए 50मिलिमीटर मोटी M15 (1:2:4) कंक्रीट बिछाना।

आरसीसी पेडस्टल (M25 ग्रेड): M25 (1:1:2) कंक्रीट का इस्तेमाल करके 600x600x1000मिलिमीटर साइज़ के पेडस्टल बनाना। कंक्रीट में कहीं भी खाली जगह (honeycombing) न रहे, यह पक्का करने के लिए मैकेनिकल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। रीइन्फोर्समेंट: 12mm व्यास वाले 4 वर्टिकल टीएमटी बार (दोनों सिरों पर 150मिलिमीटर एल-बेंड के साथ) और 8mm व्यास वाले टाई (हर पेडस्टल के लिए 9)।

सटीक J-बोल्ट इंटीग्रेशन: 20मिलिमीटर व्यास वाले एचटी स्टील जे-टाइप एंकर बोल्ट का इंस्टॉलेशन (कम से कम 450मिलिमीटर एम्बेडमेंट)।

सख्त टेम्प्लेट: टॉवर बेस प्लेट के लिए सेंटर-टू-सेंटर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, कंक्रीट डालते समय स्टील टेम्प्लेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।

सुरक्षा: कंक्रीट डालते समय थ्रेड्स पर ग्रीस लगाकर उन्हें ढका जाना चाहिए।

2. स्ट्रक्चरल स्टील (एमएस) फैब्रिकेशन

इस खंड में सिक्योरिटी एरिया की अंदरूनी बाउंड्री वॉल और **01 'वॉच टावर' के लिए "व्यू कटर"** शीट शामिल हैं।

मटीरियल स्टैंडर्ड: सिर्फ़ टाटा, सेल, जिंदल हिसार, जेएसएल या अनुमोदित बराबर की क्वालिटी वाले आईएसआई-मार्क वाले स्टील की ही इजाज़त है।

फैब्रिकेशन और वेल्डिंग: बैंक द्वारा बताए गए डिज़ाइन के अनुसार एमएस एंगल, टीज़ (Tees), चैनल, शीट और फ्लैट्स का इस्तेमाल।

वेल्डिंग: लगातार "रनिंग फिलेट" वेल्डिंग की ज़रूरत है। जोड़ों के लिए स्पॉट वेल्डिंग स्वीकार्य नहीं है।

कंपोनेंट्स: इसमें टावर फ्रेम, अंदर की बाउंड्री वॉल के लिए व्यू कटर शीट और इंटीग्रेटेड सीढ़ी/एक्सेस लैडर शामिल हैं।

एंटी-करोज़न कोटिंग: सतह की तैयारी: जंग या मिल स्केल को हटाने के लिए वायर ब्रशिंग या सैंडपेपर का इस्तेमाल।

प्राइमिंग: जिंक क्रोमेट मेटल प्राइमर की एक कोट।

फिनिशिंग: अच्छी क्वालिटी वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट की दो कोट (शेड बैंक से मंज़ूर करवाना होगा)।

3. uPVC खिड़कियां और दरवाज़े

कोने की मज़बूती (फ़्यूज़न-वेल्डेड) पक्की करने के लिए सभी जोड़ फ़ैक्टरी में बने होने चाहिए।
फ़िक्स्ड विंडो: मल्टी-चैंबर वाले सफ़ेद uPVC प्रोफ़ाइल (45x45 मिमी) जो 1.6 मिमी गैल्वेनाइज़्ड स्टील से मज़बूत किए गए हों।
ग्लेज़िंग: 12 मिमी टफ़न्ड ग्लास, जिसे ईपीडीएम गैस्केट और uPVC ग्लेज़िंग बीड्स से सुरक्षित किया गया हो; ग्लास के बीच में 200 मिमी व्यास का छेद हो।
केसमेंट दरवाज़े: हेवी-ड्यूटी प्रोफ़ाइल (फ़्रेम: 67x64 मिमी / सैश: 67x110 मिमी) जिनकी दीवार की मोटाई 2.3 मिमी हो।
हार्डवेयर: 3-तरफ़ा एडजस्टमेंट के लिए 3डी हिंज, मल्टी-पॉइंट लॉकिंग ट्रांसमिशन गियर, और ज़िंक-अलॉय पाउडर-कोटेड हैंडल।
सीलिंग: uPVC फ़्रेम और एमएस स्ट्रक्चर के बीच की जगह को बैकर रॉड के ऊपर वेदरप्रूफ़ सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाना चाहिए।

4. रूफ़िंग और सुरक्षा घेरा

रूफ़िंग (मैंगलोर टाइल प्रोफ़ाइल): 0.5 मिमी मोटी पीपीजीएल/पीपीजीआई शीट लगाना।
लीकेज रोकने के लिए ईपीडीएम-हेड वाले सेल्फ-ड्रिलिंग फास्टनर्स से फिक्सिंग। वॉटर-टाइट फिनिश के लिए सभी रिज, हिप और वैली गटर शामिल हैं।
कॉन्सर्टिना कॉइल फेंसिंग: 600 मिमी व्यास वाली पंच्ड टेप कॉन्सर्टिना कॉइल (आर.बी.टी.)।
2एम के अंतराल पर वाई-आकार के एंगल आयरन पर लगाया गया।
जी.आई. क्लिप और स्टेपल से सुरक्षित, रीइन्फोर्स्ड कांटेदार तार की 9 हॉरिजेंटल रो द्वारा सपोर्ट दिया गया।

5. सामान्य शर्तें और गुणवत्ता नियंत्रण

माप: पेमेंट पूरी तरह से नेट वज़न/एरिया के आधार पर किया जाएगा। बर्बादी, नट, बोल्ट या वेल्डिंग के सामान के लिए कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
काम की गुणवत्ता: स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कमी या खराब वेल्डिंग होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
साइट का निरीक्षण: यह माना जाएगा कि वेंडर ने साइट का दौरा कर लिया है और सभी "लीड्स और लिफ्ट्स" (मटीरियल को ऊपर-नीचे या आगे-पीछे ले जाने) का हिसाब लगा लिया है।
क्यूरिंग: स्ट्रक्चर पर भार डालने से पहले सभी कंक्रीट के कामों की कम से कम 7 से 14 दिनों तक क्यूरिंग (तराई) की जानी चाहिए।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड IV (ख) अनुबंध की सामान्य शर्तें और नियम

क्रम सं.	क्लॉज
1.	**परिभाषाएं**
	'अनुबंध' का मतलब है वे सभी दस्तावेज़ जो निविदा और उसकी मंज़ूरी का हिस्सा हैं, साथ ही उससे जुड़ी बातचीत और बैंक व ठेकेदार के बीच हुआ औपचारिक करार। इसमें वे दस्तावेज़ भी शामिल हैं जिनका ज़िक्र करार में किया गया है, जैसे कि अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें, बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश, आपस में हुई बातचीत, और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश। इन सभी दस्तावेज़ों को मिलाकर एक ही अनुबंध माना जाएगा और ये सभी एक-दूसरे के पूरक होंगे। इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों/पदों के वे ही अर्थ होंगे जो यहाँ उनके लिए निर्धारित किए गए हैं: - i. "करार" का मतलब है ठेकेदार और बैंक के बीच काम पूरा करने के लिए साइन किया गया करार। ii. "साइट" का मतलब है भारतीय रिज़र्व बैंक, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। ii. "काम" का मतलब है "एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया की अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाना और व्यू कटर लगाना" और इससे जुड़े सभी काम। iii. "बैंक" का मतलब है भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001। iv. "निविदा डॉक्यूमेंट" का मतलब है बैंक द्वारा बोली लगाने वालों को काम के लिए बोली लगाने के लिए जारी किया गया डॉक्यूमेंट। v. "दिन" का मतलब है कैलेंडर डे। vi. "वर्किंग डे" का मतलब है वे दिन जब बैंक का ऑफ़िस खुला रहता है यानी, सार्वजनिक छुट्टियों, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिन। vii. "महीना" का मतलब है कैलेंडर महीना। viii. "साल" का मतलब है वित्त वर्ष। ix. "बोली लगाने वाला/वाले" का मतलब है निविदा डॉक्यूमेंट की शर्तों के अनुसार बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्ष। x. "ठेकेदार" का मतलब है वह व्यक्ति, फ़र्म या कंपनी, चाहे वह इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं, जो काम कर रही है; इसमें उस व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि या उस फ़र्म या कंपनी को बनाने वाले लोग, या उस फ़र्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और उस व्यक्ति, फ़र्म या कंपनी के अधिकृत असाइनी शामिल होंगे। xi. "बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि" का मतलब है बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किए जाने वाले अधिकारी जो बैंक के आदेशों के तहत काम करते हैं और काम के रोज़ाना के निष्पादन की देखरेख करते हैं।

	xii. प्रभारी इंजीनियर का मतलब है बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला इंजीनियर अधिकारी जो बैंक के आदेशों के तहत काम करता है और काम की देखरेख और प्रभारी होता है। xiii. "अनुबंध की अवधि" का मतलब है निविदा डॉक्यूमेंट में अनुबंध के निष्पादन/काम पूरा करने के लिए बताई गई अवधि, जिसमें बैंक द्वारा बढ़ाई गई कोई भी अधिकृत अवधि शामिल है। xiv. "अनुबंध राशि" का अर्थ है वह कुल राशि जिसकी गणना सफल बोलीदाता द्वारा बताई गई यूनिट दरों और निविदा दस्तावेज़ में ज़रूरत के अनुसार बताई गई मात्राओं के आधार पर की गई है, जिसे बैंक ने स्वीकार किया है और काम देने वाले पत्र (लेटर ऑफ़ अवार्ड) में बताया गया है। xv. "लिखित सूचना" का अर्थ है लिखित, टाइप किए गए या प्रिंट किए गए अक्षरों में भेजी गई सूचना (जब तक कि इसे व्यक्तिगत रूप से न दिया गया हो या इसके मिलने का कोई और सबूत न हो), जिसे पाने वाले के आखिरी ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया हो। इसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब सामान्य डाक प्रक्रिया के तहत इसे डिलीवर या भेजा गया होता। किसी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया संदेश भी लिखित सूचना माना जाएगा। xvi. "लेखन" में कोई भी लिखित कागज़ी दस्तावेज़, ईमेल पत्राचार और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है। xvii. "काम शुरू होना" का अर्थ है वर्क ऑर्डर में 'काम शुरू होने की तारीख' के तौर पर बताई गई तारीख।
2.	**परफॉर्मेंस बैंक गारंटी**
	(क) ठेकेदार को काम मिलने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अनुबंध की सफल पूर्ति के लिए, अनुबंध की राशि (जीएसटी सहित) के 5% के बराबर राशि की एक 'इरिवोकेबल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी' (पीबीजी) जमा करनी होगी। यह पीबीजी किसी शेड्यूल्ड बैंक से 'भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली' के पक्ष में होनी चाहिए और अनुबंध खत्म होने की तारीख के बाद 60 दिनों तक वैध होनी चाहिए (तय फ़ॉर्मेट - अनुलग्नक-VIII के अनुसार), या फिर **पीबीजी के बराबर राशि ऑनलाइन मोड (एनईएफटी/आरटीजीएस) से** जमा करनी होगी। i. काम मिलने की तारीख से पीबीजी जमा करने के लिए दिया गया समय – 14 दिन। ii. ऊपर (i) में बताए गए समय के बाद बिना पेनल्टी के पीबीजी जमा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय की छूट – 7 दिन। iii. ऊपर (ii) में बताए गए समय के बाद, परफॉर्मेंस गारंटी की राशि का 0.1% प्रति दिन की दर से लेट फ़ीस के साथ पीबीजी जमा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय की छूट – 7 दिन। (ख) **पीबीजी जारी करना**: काम लगभग पूरा हो जाने के बाद, अनुबंध की सफल पूर्ति और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी न होने की पुष्टि होने पर, पीबीजी बिना ब्याज के जारी कर दी जाएगी। किसी शिकायत या बकाया राशि के मामले में, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को सिक्योरिटी डिपॉज़िट माना जाएगा और सभी बकाया राशि,

	देनदारियों आदि का हिसाब-किताब करने के बाद ही इसे रिलीज़ किया जाएगा। (ग) **पीबीजी ज़ब्त करना**: इन मामलों में पीबीजी ज़ब्त कर ली जाएगी: (i) काम शुरू न करना (ii) अनुबंध की शर्तों को पूरा न करना या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करना (iii) खंड IV (ख) के क्लॉज़ 25 के अनुसार।
3.	**किए जाने वाले कार्य**
	(i)अनुबंध के तहत किए जाने वाले काम में - इन शर्तों में अलग से बताए गए मामलों को छोड़कर - वे सभी लेबर, मटीरियल, टूल्स, प्लांट, इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट शामिल होंगे जिनकी ज़रूरत काम की तैयारी और उसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए हो सकती है। ठेकेदार को अपने खर्च पर वे सभी चीज़ें उपलब्ध करानी होंगी जो ड्रॉइंग, मात्राओं की सूची और स्पेसिफिकेशन के मकसद और मतलब के अनुसार काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए ज़रूरी हों, चाहे वे चीज़ें उनमें विशेष तौर पर दिखाई या बताई गई हों या नहीं - बशर्ते उनसे उचित रूप से यह अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर ठेकेदार को ड्रॉइंग में या ड्रॉइंग, मात्राओं की सूची और स्पेसिफिकेशन के बीच कोई अंतर या गड़बड़ी मिलती है, तो उसे तुरंत और लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर को बताना होगा, जो यह तय करेंगे कि किसका पालन किया जाना है। मात्राओं की सूची में दिए गए विवरणों में - जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो - मटीरियल की बर्बादी, ढुलाई और गाड़ी का किराया, खाली कंटेनरों को ले जाना और वापस करना, ऊपर चढ़ाना, सेट करना, फिट करना और सही जगह पर लगाना, और काम को अच्छी कार्यप्रणाली और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह से पूरा करने के लिए ज़रूरी अन्य सभी लेबर शामिल माने जाएंगे। (ii)ठेकेदार को यह काम इस अनुबंध के अनुसार और प्रभारी इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के मुताबिक हर तरह से पूरा करना होगा। प्रभारी इंजीनियर अपनी पूरी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे के ड्रॉइंग और/या लिखित निर्देश, विस्तृत निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा, जो इनसे संबंधित होंगे: (क) काम के डिज़ाइन, क्वालिटी या मात्रा में बदलाव या संशोधन, या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना। (क) ड्राइंग में या मात्राओं की सूची और/या ड्राइंग और/या स्पेसिफिकेशन के बीच कोई अंतर या विसंगति। (ग) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए ऐसे मटीरियल को हटाना जो निविदा स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं करते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा मटीरियल लगाना। (घ) ठेकेदार द्वारा किए गए ऐसे मटीरियल/काम को हटाना और/या दोबारा करना जो निविदा स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं करते हैं। (ङ) ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी व्यक्ति को काम से हटाना। (च) किसी ढके हुए काम को जांच के लिए खोलना। (छ) 'डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड' (दोष देयता अवधि) के दौरान देखी गई और बताई

	गई कमियों को ठीक करना। (iii) ठेकेदार बैंक के ऐसे निर्देशों में शामिल किसी भी काम का तुरंत पालन करेगा और उसे ठीक से पूरा करेगा; बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा काम के दौरान ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई बदलाव शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में कन्फर्म किए जाएं, और यदि प्रभारी इंजीनियर द्वारा अगले सात दिनों की अवधि के भीतर उन्हें लिखित रूप में मंज़ूर/नामंज़ूर नहीं किया जाता है, तो उन्हें अनुबंध के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा।
4.	**निविदा की पर्याप्तता**
	यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा भरने से पहले ही काम के लिए अपने निविदा की सही और पर्याप्त होने, और प्राइस बिड में बताई गई दरों और कीमतों की जांच कर ली है और वह उनसे संतुष्ट है। इन दरों और कीमतों में - जब तक कि अलग से कोई प्रावधान न हो - अनुबंध के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियां और काम को ठीक से पूरा करने और उसके रखरखाव के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें शामिल होंगी।
5.	**परिसमापन हर्जाना**
	अगर ठेकेदार काम की ज़रूरी रफ़्तार बनाए रखने में या अनुबंध की तारीख (या बढ़ाई गई तारीख) तक काम पूरा करने और साइट खाली करने में नाकाम रहता है, तो उसे अनुबंध की कुल रकम का 0.25% प्रति हफ़्ते (अधिकतम 10% तक) के हिसाब से हर्जाना (liquidated damages) देना होगा। यह हर्जाना, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण बैंक को कानून के तहत मिलने वाले किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना देना होगा। इस हर्जाने की रकम को, बैंक के साथ इस या किसी दूसरे अनुबंध के तहत ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी रकम से एडजस्ट या सेट-ऑफ़ किया जा सकता है।
6.	**बदलावों को बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी।**
	ठेकेदार को वेरिएशन आइटम (बदलाव वाले आइटम) की मात्रा पर काम शुरू करने से पहले बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी। ठेकेदार को वेरिएशन का विवरण (मात्रा और दरें) जमा करना होगा, जिसके साथ दरों का विश्लेषण, वाउचर आदि भी लगे हों। बैंक ऐसे वेरिएशन के भुगतान के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि वह इन विवरणों को मंज़ूरी न दे दे।
7.	**अधिकारी, नोटिस और पेटेंट**
	ठेकेदार को काम से जुड़े किसी भी कानूनी प्रावधान और किसी भी अथॉरिटी, पानी, बिजली सप्लाई या अन्य कंपनियों/अथॉरिटीज़ के नियमों और उप-नियमों का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से इस स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रस्ताव है। अगर इन नियमों का पालन करने के लिए ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है, तो ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देनी होगी। इस सूचना में प्रस्तावित बदलाव और उसके कारण का विवरण होना चाहिए और उस पर निर्देश के

	लिए आवेदन करना होगा। अगर ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उप-नियमों के अनुसार काम जारी रखेगा। ठेकेदार को उन सभी नोटिसों के बारे में बैंक के इंजीनियर को बताना होगा जो संबंधित कानूनों, नियमों या उप-नियमों के तहत किसी अथॉरिटी को दिए जाने ज़रूरी हैं। साथ ही, उसे काम से जुड़ी सभी ज़रूरी फीस उस अथॉरिटी या सरकारी दफ़्तर में जमा करनी होगी और उनकी रसीदें बैंक के इंजीनियर के पास जमा करानी होंगी। ठेकेदार पेटेंट अधिकारों से जुड़े सभी दावों के मामले में बैंक को नुकसान से बचाएगा और ऐसे दावों से पैदा होने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करेगा। साथ ही, इनसे जुड़ी सभी तरह की रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, हर्जाना, लागत और खर्चों का भुगतान वह खुद करेगा।
8.	**काम शुरू करना**
	ठेकेदार काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसके सभी हिस्सों की स्थिति, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सटीकता के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर ठेकेदार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहता है, तो किसी भी गलती या कमी को बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा।
9.	**सामग्री और कारीगरी विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।**
	सभी मटीरियल और काम का तरीका वैसा ही होना चाहिए जैसा 'शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज' और/या 'स्पेसिफिकेशन्स' में बताया गया है और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। साथ ही, बैंक के इंजीनियर के कहने पर ठेकेदार को सभी इनवॉइस, अकाउंट, रसीदें और दूसरे वाउचर दिखाने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल तय मानकों के अनुसार है। काम में इस्तेमाल करने से पहले, ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, नामी लैबोरेटरी में किसी भी मटीरियल का टेस्ट अपने खर्च पर करवाना होगा।
10.	**कामगारों की बर्खास्तगी**
	बैंक के इंजीनियर के कहने पर, ठेकेदार को काम पर रखे गए किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत काम से हटाना होगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में अयोग्य हो या जिसका व्यवहार ठीक न हो; और ऐसे व्यक्तियों को कंसल्टेंट की मंज़ूरी के बिना दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।
11.	**काम तक पहुँच**
	बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को काम की जगह और/या उन वर्कशॉप, फ़ैक्टरियों या दूसरी जगहों पर, जहाँ मटीरियल रखा है या जहाँ से उसे मंगाया जा रहा है, किसी भी उचित समय पर आने-जाने की पूरी छूट होगी। ठेकेदार, बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को मटीरियल और काम की क्वालिटी की जांच-पड़ताल और टेस्टिंग के लिए ज़रूरी सभी सुविधाएँ देगा। बैंक या बैंक के इंजीनियर से अधिकृत न होने वाले किसी भी व्यक्ति को—सिवाय सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों के—किसी भी समय काम की जगह पर आने की इजाज़त नहीं होगी।

12.	**असाइनमेंट और सबलेटिंग**
	अनुबंध में शामिल सभी काम ठेकेदार को ही करने होंगे। ठेकेदार, बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना, अनुबंध या उसके किसी हिस्से/हिस्सेदारी या उसमें अपने किसी अधिकार को सीधे या परोक्ष रूप से किसी और को ट्रांसफर, असाइन या सब-लेट नहीं करेगा। साथ ही, किसी भी तरह का कोई करार ठेकेदार को अनुबंध की पूरी ज़िम्मेदारी से या अनुबंध के दौरान काम की सक्रिय देखरेख की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।
13.	**तैनात कर्मचारियों की पहचान**
	ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात किए गए लोगों के नाम, माता-पिता का नाम, घर का पता, उम्र आदि की जानकारी, साथ ही हाल की फ़ोटो और कोई आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा करने होंगे।
14.	**पुलिस सत्यापन**
	ठेकेदार पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किसी भी स्टाफ़ को तैनात नहीं करेगा। तैनात किए जाने वाले स्टाफ़ के बैकग्राउंड की जाँच ठेकेदार को स्थानीय पुलिस अथॉरिटी से करवानी होगी।
15.	**बदलाव**, **अतिरिक्त चीज़ें**, **छूट आदि**
	किसी भी बदलाव, कमी या फेरबदल से यह अनुबंध अमान्य नहीं होगा। लेकिन अगर काम के दौरान कभी भी बैंक का इंजीनियर काम में कोई बदलाव, बढ़ोतरी या कमी करना ज़रूरी समझे, या इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की किस्म या क्वालिटी में कोई बदलाव करना चाहे, तो वह ठेकेदार को इसकी लिखित सूचना देगा। ठेकेदार को उस सूचना के अनुसार बदलाव, बढ़ोतरी या कमी करनी होगी। लेकिन ठेकेदार, बैंक के इंजीनियर की लिखित मंज़ूरी के बिना कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा, न ही काम में कोई बदलाव, बढ़ोतरी या कमी करेगा, और न ही अनुबंध, शर्तों, स्पेसिफिकेशन या अनुबंध ड्रॉइंग के किसी प्रावधान से कोई अलग काम करेगा। ऐसे अतिरिक्त काम, बदलाव, बढ़ोतरी या कमी की कीमत हर मामले में बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित मंज़ूरी के साथ तय की जाएगी, और इसे अनुबंध की कुल रकम में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा पूरी तरह से 'आइटम रेट' (हर आइटम की दर) के आधार पर है। उसका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाता है कि हर आइटम की दर सही, काम करने लायक और अपने आप में पूरी होनी चाहिए। 'क्वांटिटी शेड्यूल' (मात्राओं की सूची) में दी गई मात्राएँ काम के कुल दायरे का अंदाज़ा देती हैं, लेकिन वे किसी भी हद तक बदल सकती हैं या उन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे अनुबंध की कुल कीमत बदल सकती है। हालाँकि, काम को असल में करते समय अगर मात्राएँ निविदा में दी गई मात्राओं से 25% से ज़्यादा हो जाती हैं, तो निविदा की मात्रा से 25% से ज़्यादा की गई ऐसी मात्राओं को काम का 'एक्स्ट्रा आइटम' माना जाएगा। इसके लिए ठेकेदार को नए रेट देने होंगे, जो असल लागत + 15%

	(एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और मुनाफ़े के लिए) के आधार पर रेट एनालिसिस के साथ हों। काम के ऐसे सभी आइटम के रेट मौजूदा रेट होंगे, इसलिए वे निविदा में दिए गए एस्केलेशन फ़ॉर्मूले (अगर कोई हो) के अनुसार मटीरियल या लेबर की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी के कारण प्राइस एडजस्टमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर बैंक की मर्ज़ी से मंज़ूर किए गए निविदा से काम का कोई आइटम हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस आधार पर कोई दावा नहीं कर पाएगा। ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, स्पेसिफिकेशन के अनुसार सभी ज़रूरी और वर्किंग ड्रॉइंग/डिज़ाइन (2डी और 3डी में रंगीन ड्रॉइंग) तैयार करने होंगे और काम शुरू करने से पहले बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी। **सामग्री की मूल दर के लिए मूल्य समायोजन:** कीमत में बदलाव सिर्फ़ मापी गई असल मात्रा के आधार पर ही किया जाएगा। कीमत में यह बदलाव 'बेसिक रेट' और असल मार्केट/मटीरियल खरीद रेट के बीच के अंतर और उस पर 15% मुनाफ़े को ध्यान में रखकर किया जाएगा; यह सब निविदा में संबंधित आइटम के लिए बताए गए रेट के आधार पर होगा। 'बेसिक रेट' का मतलब है साइट पर मटीरियल की लागत, जिसमें जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, सेल्स टैक्स, एक्साइज़/कस्टम ड्यूटी, वैट (VAT), सैट (SAT), ऑक्ट्रॉय या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय अथॉरिटी द्वारा लागू कोई अन्य टैक्स, ड्यूटी या लेवी शामिल नहीं है। मटीरियल की बेसिक कीमत में अंतर होने पर दरों में बदलाव अगर मटीरियल की बेसिक कीमत में अंतर होता है, तो उस आइटम (जिसमें उसे फिक्स/इंस्टॉल/ले करने आदि का खर्च शामिल है) के लिए बताई गई दरों में नीचे दिए गए तरीके से बदलाव किया जाएगा- संशोधित दरें = निविदा में बताई गई दरें + (मंजूर किए गए मटीरियल की असल बेसिक दर – निविदा में बताई गई बेसिक दरें) X सीपीओएएच @ 15% **ध्यान दें:** सीपीओएएच, मटीरियल की बेसिक कीमतों में अंतर का 15% है। दरों की पुष्टि के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (खरीद वाउचर/कैश मेमो) साइट पर काम शुरू होने से पहले उपलब्ध कराने होंगे।
16.	**कामों की माप**
	काम के माप लेने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी: i. माप ठेकेदार द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनकी एक हार्ड कॉपी विभाग को सौंपी जाएगी। सभी एंट्रीज़ पारंपरिक MBs/CMBs को रिकॉर्ड करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएंगी। ii. इसके बाद इन मापों की 100% जांच जूनियर इंजीनियर/सप्र (तकनीकी) द्वारा की जाएगी। यदि जूनियर इंजीनियर/ सप्र (तकनीकी) उपलब्ध नहीं हैं, तो सप्र (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) मापों की 100% जांच करेंगे। ठेकेदार इन जांचों के दौरान किए गए सभी बदलावों या सुधारों को अपने ड्राफ्ट कंप्यूटराइज्ड मापों में शामिल करेगा और विभाग को सही किया हुआ कंप्यूटराइज्ड माप एक किताब के रूप में

	सौंपेगा, जो ठीक से हार्ड-बाउंड हो और जिसके पन्नों पर मशीन से नंबर डाले गए हों। इस कंप्यूटराइज्ड एमबी के सभी पन्नों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम और पद के साथ तारीख और पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए। iii. इन कंप्यूटराइज्ड मापों की टेस्ट चेकिंग संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस किताब को कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक माना जाएगा। संबंधित अधिकारी कंप्यूटराइज्ड एमबी में अपनी जांच और टेस्ट चेकिंग के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करेंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी कि अपने सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करने से पहले कंप्यूटराइज्ड एमबी में सभी सुधार शामिल कर लिए गए हों। iv. यदि अनुबंध में अलग से नहीं बताया गया है, तो सभी माप आईएस 1200 में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे। यदि ठेकेदार माप लेने के समय मौजूद नहीं रहता है या माप लेने में लापरवाही या चूक करता है, तो बैंक के इंजीनियर या उनके द्वारा मंज़ूर किए गए व्यक्ति द्वारा लिए गए मापों को ही काम का सही माप माना जाएगा।
17.	**अतिरिक्त आइटम की कीमतें**
	किसी अतिरिक्त आइटम के लिए तब तक कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे बैंक की सहमति से बैंक के इंजीनियर के अधिकार से पूरा न किया गया हो। ऐसे किसी भी अतिरिक्त आइटम को 'अधिकृत अतिरिक्त आइटम' कहा जाएगा और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (i) मूल निविदा में दी गई नेट दरें या कीमतें अतिरिक्त काम की कीमत तय करेंगी, बशर्ते वह अतिरिक्त काम उसी तरह का हो और उसी तरह की स्थितियों में किया गया हो, जैसा कि निविदा में बताए गए काम के लिए था। (ii) सभी अतिरिक्त आइटम के लिए दरें, जहाँ भी संभव हो, 'प्राइस्ड शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज' (कीमतों के साथ मात्रा की सूची) में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए। (iii) जहाँ अतिरिक्त काम एक जैसा न हो और/या ऊपर बताई गई स्थितियों में न किया गया हो, या जहाँ किसी काम को छोड़ने से बाकी काम करने की स्थितियों में बदलाव आता हो, या यदि छोड़े गए या जोड़े गए काम की मात्रा पूरे अनुबंध के काम या उसके किसी हिस्से की तुलना में ऐसी हो कि बैंक के इंजीनियर की राय में 'प्राइस्ड शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज' या निविदा में दी गई नेट दर या कीमत से ठेकेदार को उचित अनुमान से ज़्यादा नुकसान या खर्च हो रहा हो, या ऐसी कमी या बढ़ोतरी के कारण वह दर अनुचित या लागू न करने योग्य हो गई हो, तो बैंक का इंजीनियर बैंक की लिखित मंज़ूरी से ऐसी दूसरी दर या कीमत तय करेगा जिसे वह उन स्थितियों में उचित और सही समझे। (iv) जहाँ अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या उसका मूल्य तय नहीं किया जा सकता, वहाँ ठेकेदार को लेबर की मज़दूरी और इस्तेमाल की गई सामग्री पर हुए वास्तविक खर्च के आधार पर दावा करने की अनुमति होगी। ठेकेदार को उक्त दावे के लिए उचित दर विश्लेषण, इनवॉइस और भुगतान का सबूत जमा करना होगा, जिसकी जाँच बैंक का इंजीनियर करेगा। (v) अनुबंध से संबंधित माप और मूल्यांकन का काम परिशिष्ट में बताई गई "अंतिम माप की अवधि" के भीतर या, यदि ऐसा नहीं बताया गया है, तो अनुबंध का काम पूरा होने

	के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। (vi) इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी अधिकृत अतिरिक्त आइटम के लिए जिनकी दरें निविदा से नहीं निकाली जा सकतीं, ठेकेदार को "वास्तविक लागत के आधार" पर तैयार दर विश्लेषण के साथ दरें जमा करनी होंगी, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार का ओवरहेड और मुनाफ़ा शामिल करने के लिए 15% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन (कीमत में बढ़ोतरी) के लिए पात्र नहीं होंगे।
18.	**बिना लगे हुए मटीरियल बैंक की संपत्ति होंगे**
	अगर किसी सर्टिफ़िकेट (जिसका पेमेंट ठेकेदार को मिल चुका है) में बैंक के इंजीनियर ने ऐसे किसी बिना लगे हुए मटीरियल की कीमत शामिल की है, जो काम के लिए लाया गया हो और/या काम की जगह पर या उसके आस-पास रखा गया हो, तो ऐसा मटीरियल बैंक की प्रॉपर्टी बन जाएगा। बैंक के इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना, इन्हें काम में इस्तेमाल करने के अलावा कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। ऐसे मटीरियल के किसी भी नुकसान या टूट-फूट के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।
19.	**अनुचित कार्यों को हटाना**
	काम चलने के दौरान, बैंक के पास समय-समय पर लिखित आदेश देने का अधिकार होगा कि:आदेश में बताए गए उचित समय के भीतर काम या ऐसी सामग्री को हटाया जाए जो बैंक के इंजीनियर की राय में स्पेसिफिकेशन या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं है; (ii) सही सामग्री का इस्तेमाल किया जाए; और ऐसा कोई भी काम हटाया और सही तरीके से दोबारा किया जाए जो ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन या इंचार्ज इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार सामग्री या कारीगरी से नहीं किया गया है। ठेकेदार को ऐसे आदेश का पालन अपने खर्च पर करना होगा। अगर ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो बैंक के पास उसी काम को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित, इसके परिणामस्वरूप या इससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार को उठाने होंगे, या बैंक उन्हें ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से काट सकता है।
20.	**आभासी पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाण पत्र**
	काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दे कि काम लगभग पूरा हो गया है। 'लगभग पूरा होने' का प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीनों तक 'दोष देयता अवधि' लागू रहेगी।
21.	**काम के वर्चुअल तौर पर पूरा होने के बाद की कमियां**
	अगर इस करार के साथ लगे परिशिष्ट में बताई गई "दोष देयता अवधि" के दौरान—या अगर ऐसी कोई अवधि नहीं बताई गई है, तो काम के लगभग पूरा होने के बारह महीनों के भीतर—बैंक के इंजीनियर की राय में अनुबंध के अनुसार न होने वाले मटीरियल या कारीगरी की वजह से कोई खराबी या दूसरी कमियां सामने आती हैं, तो बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर और उसमें बताई गई उचित समय-सीमा के भीतर,

	ठेकेदार को अपने खर्च पर उन्हें ठीक करना होगा। अगर ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो बैंक ऐसी कमियों, सिकुड़न, धंसने या दूसरी खराबी को ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप या इससे जुड़े सभी नुकसान और खर्च ठेकेदार को उठाने होंगे और बैंक उससे ये नुकसान और खर्च वसूल कर सकता है या ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से काट सकता है। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने या किसी अकाउंट को मंज़ूरी देने के बावजूद, ठेकेदार इस क्लॉज़ के प्रावधानों के तहत ज़िम्मेदार बना रहेगा।
22.	**बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति**
	बैंक के पास यह अधिकार है कि वह इस अनुबंध में शामिल न किए गए किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपनी जगह और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करे, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे काम को पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन बैंक के साथ किसी विशेष करार के बिना, उसे ऐसे काम के लिए कोई मशीनरी या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कामों की रफ़्तार में कोई रुकावट न आए, और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
23.	**लोगों और संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए बीमा** (i) ठेकेदार उन सभी चोटों या नुकसानों के लिए ज़िम्मेदार होगा जो लोगों, जानवरों या चीज़ों को पहुँचते हैं, और संपत्ति को होने वाले उन सभी नुकसानों के लिए भी ज़िम्मेदार होगा जो ठेकेदार, किसी सब-ठेकेदार, किसी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार या उनके किसी कर्मचारी की किसी हरकत या चूक के कारण हो सकते हैं। इस क्लॉज़ के तहत दायित्व में संरचनाओं (चाहे वे काम की जगह के ठीक बगल में हों या कहीं और) को होने वाला कोई भी नुकसान; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को होने वाला नुकसान; और साथ ही इस अनुबंध के तहत आने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कामों को होने वाला नुकसान भी शामिल होगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य खराब स्थितियों के कारण इस अनुबंध के तहत आने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कामों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को ऊपर बताए गए लोगों या संपत्ति को होने वाली किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी नुकसानों और खर्चों से बचाएगा और नुकसान-मुक्त रखेगा; और ऐसी चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे (चाहे किसी कानून के तहत हो या अन्यथा) और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले किसी भी अवॉर्ड, मुआवज़े या हर्जाने के संबंध में भी बैंक को बचाएगा और नुकसान-मुक्त रखेगा। (ii) ठेकेदार अपने खर्च पर, इस अनुबंध के तहत वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक, बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों से (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम होगा) अनुबंध की पूरी राशि के लिए 'ऑल रिस्क पॉलिसी' (जिसमें भूकंप का जोखिम भी शामिल हो) लेगा और बनाए रखेगा, और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसीज़ बैंक के पास जमा करेगा। (iii) ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से भी बचाएगा और नुकसान-मुक्त रखेगा जो

	किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के खिलाफ़ उन चीज़ों के संबंध में किए जा सकते हैं जो काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं; और वह अपने खर्च पर, अनुबंध के वर्चुअल कंप्लीशन तक, बैंक द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनी के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों से (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम होगा) ऐसे जोखिम के खिलाफ़ बीमा पॉलिसी लेगा और बनाए रखेगा, और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसीज़ जमा करेगा। इस पॉलिसी के तहत कवरेज की कम-से-कम सीमा किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹5 लाख होगी और किसी भी एक दुर्घटना या घटना में संपत्ति के नुकसान के लिए ₹2 लाख होगी, जिसकी कुल अधिकतम सीमा ₹25 लाख होगी। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से भी सुरक्षित रखेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वे 'कर्मकार प्रतिकर अधिनियम' (वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट) के तहत हों या लागू किसी अन्य कानून के तहत, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या कॉमन लॉ के तहत, ठेकेदार या सब-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में; और वह अपने खर्च पर ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा (जब तक कि अनुबंध का काम लगभग पूरा न हो जाए) या बैंक द्वारा मंजूर बीमा कंपनी के साथ ऐसी पॉलिसी लेगा और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसीज़ बैंक के पास जमा करेगा। अगर ठेकेदार ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी लेने में चूक करता है, तो बैंक बीमा करवा सकता है और भरे गए प्रीमियम की रकम ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी रकम से काट सकता है। (iv) ठेकेदार किसी भी ऐसी देनदारी के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी में कवर नहीं होती है, और किसी व्यक्ति, जानवर या इस अनुबंध के खराब तरीके से किए जाने से होने वाले किसी भी अन्य नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे नुकसान का कारण कुछ भी हो। (v) नुकसान के बाद दोबारा बनाने या बहाल करने के मामले में, ठेकेदार काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का हकदार होगा, जैसा कि बैंक का इंजीनियर उचित समझे; लेकिन वह यहाँ बताए गए किसी भी दावे के निपटारे में बीमा कंपनी द्वारा अंततः भुगतान की गई रकम में किसी भी कमी या अंतर की भरपाई बैंक से पाने का हकदार नहीं होगा। (vi) ठेकेदार किसी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि बताई गई बीमा पॉलिसी जमा न कर दी जाएं। अगर सब-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो उस सब-ठेकेदार की वजह से होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अगर ठेकेदार बीमा पॉलिसी लेने या रिन्यू करने में विफल रहता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस जारी करके बीमा कवर की व्यवस्था करेगा, और उससे जुड़ा प्रीमियम ठेकेदार को देय रकम से वसूला जा सकता है।
24.	**देरी और समय का विस्तार**
	अगर बैंक के इंजीनियर की राय में, काम में देरी होती है: (क) किसी ऐसी अप्रत्याशित घटना (फोर्स मैज्योर) के कारण जिसे रोका न जा सके या

	(ख) बहुत खराब मौसम के कारण या (ग) आस-पास के मालिकों या सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई, धमकी या विवाद के कारण (जो ठेकेदार की अपनी गलती के कारण न हो) या (घ) बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा नियुक्त या चुने गए अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के काम में देरी के कारण, जिनका ज़िक्र 'मात्राओं की सूची' और/या 'स्पेसिफिकेशन' में नहीं है या (ङ) बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के कारण या (च) नागरिक अशांति, मज़दूरों के स्थानीय संगठन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण, जिससे निर्माण कार्य से जुड़े किसी भी व्यापार पर असर पड़ा हो या (छ) ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने के कारण (जिसके लिए उसने लिखित में विशेष तौर पर आवेदन किया हो) या (ज) अन्य कारणों से जिन्हें बैंक के इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित करें या अगर बदलाव के कारण काम की कीमत 'मात्राओं की सूची' में दी गई कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक के इंजीनियर, बैंक की लिखित मंज़ूरी से, ठेकेदार के काम को पूरा करने के लिए समय में उचित और सही बढ़ोतरी कर सकते हैं; ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में भी ठेकेदार को देरी रोकने की लगातार कोशिश करनी चाहिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार जो भी ज़रूरी हो, वह सब करना चाहिए। अगर ठेकेदार तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो काम के लिए समय बढ़ाने और सभी कानूनी ज़रूरतों (जैसे सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का समय बढ़ाना आदि) को पूरा करने के लिए वही पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।
25.	**बैंक द्वारा अनुबंध खत्म करना** अगर ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फर्म) दिवालियापन का कोई काम करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या अगर वह एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और उसके खिलाफ जबरन बंद करने (वाइंडिंग अप) का आदेश दिया जाता है, या वह स्वेच्छा से या कोर्ट और ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर की देखरेख में कंपनी बंद करने का प्रस्ताव पास करता है; तो ऐसे मामलों में, बैंक के इंजीनियर द्वारा नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर उसे यह साबित करना होगा कि वह बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि के अनुसार अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और, यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक हो, तो इसके लिए सिक्योरिटी भी देनी होगी। या यदि ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो) के खिलाफ कोर्ट द्वारा संपत्ति कुर्क करने (अटैचमेंट) की कोई प्रक्रिया या आदेश जारी किया जाता है। या यदि इस अनुबंध के तहत मिलने वाले किसी भुगतान को ठेकेदार के किसी लेनदार (क्रेडिटर) द्वारा या उसकी ओर से कुर्क (अटैच) किया जाता है। या यदि वह बैंक की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को किसी और को सौंपता है या सबलेट करता है। या यदि वह इस अनुबंध या इसके तहत ठेकेदार को मिलने वाले या भविष्य में मिलने वाले

	किसी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ (एनकम्ब्रेन्स) डालता है। या यदि बैंक का इंजीनियर बैंक को लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि ठेकेदार ने, i. अनुबंध को छोड़ दिया है या ii. काम शुरू करने में विफल रहा है, या बैंक के इंजीनियर से काम आगे बढ़ाने का नोटिस मिलने के चौदह दिनों के बाद इन शर्तों के तहत किसी वैध कारण के बिना काम की प्रगति को रोक दिया है या iii. काम को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे काम तय समय के भीतर पूरा हो सके या iv. बैंक के इंजीनियर से लिखित नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर साइट से सामग्री हटाने या काम को गिराकर उसे बदलने में विफल रहा है, जिसमें कहा गया था कि उक्त सामग्री या काम को इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा खराब या अस्वीकार कर दिया गया था, या v. ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के बाद भी, इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य या मामले का पालन करने और उसे पूरा करने में लगातार लापरवाही बरती है या विफल रहा है। ऐसी किसी भी स्थिति में, बैंक ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध खत्म कर सकता है, भले ही पहले किसी शर्त में ढील दी गई हो। लेकिन इससे बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या ठेकेदार की जिम्मेदारियों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा; ये सब वैसे ही लागू रहेंगी जैसे अनुबंध खत्म न हुआ हो और बाद में किए गए काम ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से किए गए हों। इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या कर्मचारियों के ज़रिए काम की जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर मौजूद सभी प्लांट, औज़ार, मचान शेड, मशीनरी, स्टीम और अन्य पावर वाले उपकरण और मटीरियल पर कब्ज़ा कर सकता है और उन्हें अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बैंक अपने कर्मचारियों और मज़दूरों से काम पूरा करवा सकता है या किसी दूसरे ठेकेदार या व्यक्ति से काम पूरा करवा सकता है। ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या व्यक्ति को काम पूरा करने या मटीरियल और प्लांट का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा और न ही कोई बाधा डालेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके बाद जब भी सुविधाजनक हो, बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को अपना बचा हुआ मटीरियल और प्लांट हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा। अगर ठेकेदार नोटिस मिलने के चौदह दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उन्हें सार्वजनिक नीलामी में बेच सकता है और उससे मिली शुद्ध रकम का हिसाब ठेकेदार के खाते में जमा कर सकता है। इसके बाद बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में यह तय करेगा और प्रमाणित करेगा कि बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और मटीरियल की कीमत, काम पूरा करवाने में बैंक को हुआ खर्च या नुकसान, और ठेकेदार को देय कोई रकम (यदि कोई हो) के लिए बैंक को क्या देना या लेना है। प्रमाणित की गई रकम का भुगतान बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को किया जाएगा (जैसा भी मामला हो), और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण पत्र दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।
26.	**ठेकेदार द्वारा अनुबंधों की समाप्ति**

	अगर ठेकेदार द्वारा बैंक को लिखित नोटिस देने के बाद भी, बैंक के इंजीनियर के सर्टिफ़िकेट के तहत बैंक को जो रकम देनी है, वह तीस दिनों तक बकाया रहती है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है; या अगर बैंक ऐसे किसी सर्टिफ़िकेट को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है; या अगर बैंक ठेकेदार के साथ किए गए करार को मानने से इनकार कर देता है; या अगर बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश से, या किसी अदालत के आदेश या रोक के कारण काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है; तो ऐसी किसी भी स्थिति में ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि वह बैंक के इंजीनियर के ज़रिए बैंक को लिखित नोटिस देकर अनुबंध खत्म कर दे। साथ ही, वह बैंक से किए गए सभी कामों का पेमेंट पाने और अनुबंध के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या मटीरियल पर हुए नुकसान की भरपाई पाने का हकदार होगा। ऐसे पेमेंट की रकम तय करते समय, ठेकेदार के ओरिजिनल निविदा में दी गई नेट दरों का पालन किया जाएगा।
27.	**प्रमाण-पत्र और भुगतान**
	क) जब काम लगभग पूरा हो जाए और बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में यह सर्टिफ़िकेट दे दे कि काम पूरा हो गया है, तो बैंक, इंजीनियर द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट के अनुसार ठेकेदार को परिशिष्ट में बताई गई रकम का भुगतान करेगा और ठेकेदार ' बची हुई रकम' (फ़ाइनल बैलेंस) पाने का हकदार होगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में जारी 'फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट' के अनुसार होगा। यह सर्टिफ़िकेट 'वर्चुअल कंप्लीशन' (काम के लगभग पूरा होने) की तारीख से परिशिष्ट में बताए गए " दोष देयता अवधि" (डिफ़ेक्ट लायबिलिटी पीरियड) के खत्म होने पर, या उस अवधि के खत्म होने के बाद जब काम पूरी तरह से खत्म हो जाए और सभी खामियां ठीक कर दी जाएं (इनमें से जो भी बाद में हो), तब जारी किया जाएगा। बशर्ते कि काम के दौरान या उसके पूरा होने पर या उसके बाद बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी कोई भी सर्टिफ़िकेट ठेकेदार को उसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा; और न ही धोखाधड़ी, बेईमानी, या काम या मटीरियल या सर्टिफ़िकेट में बताई गई किसी भी बात से जुड़ी धोखाधड़ी से छिपाई गई जानकारी के मामलों में, और काम या मटीरियल में ऐसी खामियों या कमियों के मामलों में जिन्हें सामान्य जांच से पता नहीं लगाया जा सकता था, ठेकेदार को उसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर का कोई भी सर्टिफ़िकेट अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि उससे जुड़ा कोई भी काम या मटीरियल अनुबंध के अनुसार है। न ही ठेकेदार उन रकमों के लिए कोई दावा कर सकेगा जिन्हें बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और बैंक ने भुगतान किया हो, और बाद में पता चले कि उनका भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था; इस मामले में बैंक का फ़ैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। ख) ठेकेदार को फ़ाइनल बिल के साथ एक स्टेटमेंट जमा करना होगा जिसमें बिल की तारीख तक उसके द्वारा खरीदे गए सभी निर्माण मटीरियल का विवरण हो, ताकि बैंक द्वारा बिलों का निपटान करने से पहले उनकी जांच की जा सके। ग) अगर काम या उसका कोई हिस्सा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार नहीं

	किया जा रहा है, तो उसे कोई भी सर्टिफ़िकेट रोकने का अधिकार होगा। बैंक का इंजीनियर अपने द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले सर्टिफ़िकेट में कोई भी सुधार कर सकता है। घ) अगर ठेकेदार काम का बीमा कराने और 'वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट' जारी होने तक उसे बीमित रखने में विफल रहता है, तो बैंक का इंजीनियर भुगतान का कोई भी सर्टिफ़िकेट जारी नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर के सर्टिफ़िकेट के आधार पर पेमेंट 45 दिनों के अंदर किया जाएगा।
28.	**अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**
	बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या संस्था से काम की तकनीकी जांच करवाए और ठेकेदार के फ़ाइनल बिल (जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट आदि शामिल हों) की भी जांच करवाए। अगर इन जांचों या किसी अन्य तरीके से यह पता चलता है कि ठेकेदार को ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट किया गया है या ज़्यादा सर्टिफ़ाई किया गया है, तो बैंक के लिए यह कानूनी रूप से सही होगा कि वह उस रकम की वसूली ठेकेदार को इस काम के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत कहीं और किए जा रहे किसी अन्य काम के लिए देय किसी भी पेमेंट से करे।
29.	**कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली।**
	हर उस मामले में जहाँ 'कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923' (वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट) या उसमें किए गए किसी कानूनी बदलाव या उसे दोबारा लागू किए जाने के प्रावधानों के तहत, बैंक को ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने के लिए रखे गए किसी कर्मचारी को मुआवज़ा देना पड़ता है, तो बैंक ठेकेदार से उस मुआवज़े की रकम वसूल करने का हकदार होगा; और, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक ऐसी रकम या उसके किसी हिस्से को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी रकम (चाहे वह इस अनुबंध के तहत हो या किसी और वजह से) से काटकर वसूल कर सकता है। बैंक उक्त अधिनियम के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का मुक़ाबला करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय तब जब ठेकेदार लिखित रूप में अनुरोध करे और बैंक को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी दे, जिनके लिए बैंक ऐसे दावे का मुक़ाबला करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।
30.	**ठेकेदार की मृत्यु होने पर अनुबंध की समाप्ति**
	इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, अगर ठेकेदार (जो एक व्यक्ति या सोल प्रोप्रइटर है) की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास अनुबंध खत्म करने का विकल्प होगा। ऐसा करने पर बैंक की कोई देनदारी नहीं होगी और न ही ठेकेदार को कोई मुआवज़ा देना होगा।
31.	**ठेकेदार को सभी संबंधित कानूनी नियमों का पालन करना होगा।**
	(क) ठेकेदार को काम से जुड़े सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसे कि • अनुबंध लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970।

	i. कोड ऑन वेजेज, 2019 ii. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 iii. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 iv. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 (ओएसएचडब्ल्यूसी कोड, 2020) v. नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938 vi. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986। vii. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 vii. और/या कोई अन्य लागू एक्ट/कानून (ख) तैनात किए गए स्टाफ़/वर्कर ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और ऊपर बताए गए अधिनियमों/नियमों/रेगुलेशन/कानूनों के तहत सभी कानूनी देनदारियों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से सुरक्षित रखेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वे ऊपर बताए गए लेबर कोड, कानूनों या अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत हों। (ग) ठेकेदार को ओएसएचडब्ल्यूसी कोड, 2020 और दिल्ली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट (जहाँ भी लागू हो) के तहत लेबर विभाग के संबंधित अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। (घ) ठेकेदार को सभी म्युनिसिपल और अन्य रेगुलेशन का पालन करना होगा और अपने खर्च पर ज़रूरी लाइसेंस और परमिट लेने होंगे, जिसमें ओएसएचडब्ल्यूसी कोड, 2020 आदि के तहत लाइसेंस शामिल हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने से जुड़े नियमों और रेगुलेशन का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किए जाने पर बैंक किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए सभी संबंधित कानूनी अधिकारियों के साथ संपर्क और फ़ॉलो-अप के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा। (ङ) ठेकेदार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा। अगर किसी लागू कानून या एक्ट में बाद के किसी कानून के ज़रिए कोई बदलाव, संशोधन, बदलाव या उसे बदला जाता है, तो बदले हुए, संशोधित या नए प्रावधान मौजूदा प्रावधानों की जगह लागू माने जाएँगे।
32.	**पीएफ और ईएसआई नियमों का पालन - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**
	ठेकेदार को 'कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण विविध उपबंध अधिनियम, 1952' और ' कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' के नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस फंड के लिए नियोक्ता का योगदान जमा करना होगा। ठेकेदार को ईएसआई और ईपीएफ का योगदान स्थानीय रूप से केवल दिल्ली में ही जमा करना होगा और उसे यह पक्का करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ईएसआई कार्ड और ईपीएफ कार्ड मिल जाएं। किसी भी स्थिति में, अगर ठेकेदार तय समय के भीतर पीएफ/ईएसआई सब्सक्रिप्शन आदि के लिए कर्मचारी/एम्प्लॉयर का योगदान जमा करने में विफल रहता है, तो बैंक इस करार या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय या मिलने वाली किसी भी राशि से उतनी ही राशि वसूलने और उसे संबंधित अधिकारियों को जमा करने का हकदार होगा, साथ ही बैंक में तैनात कर्मचारियों

	का विवरण भी देना होगा। अगर किसी लागू कानून या एक्ट में बाद के कानून द्वारा कोई संशोधन, बदलाव, प्रतिस्थापन या उसे रद्द किया जाता है, तो संशोधित, बदले गए, प्रतिस्थापित या रद्द किए गए प्रावधान मौजूदा प्रावधानों की जगह लागू माने जाएंगे।
33.	**न्यूनतम वेतन संहिता के तहत कानूनों/नियमों का पालन**
	(क) 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 / 2019' के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मज़दूरी लागू होगी। ठेकेदार को 'ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970' / 'ओएसएचडब्ल्यूसी कोड, 2020' के अनुसार अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ देनी होंगी। ठेकेदार को समय-समय पर मज़दूरी के भुगतान, मज़दूरी की अवधि, मज़दूरी से कटौती, भुगतान न की गई मज़दूरी की वसूली और अनधिकृत कटौती, मज़दूरी रजिस्टर/बुक का रखरखाव, वेज स्लिप, मज़दूरी की दर और नौकरी की शर्तों को प्रकाशित करने, निरीक्षण और समय-समय पर रिटर्न जमा करने से जुड़े श्रम नियमों का पालन करना होगा या पालन करवाना होगा। (ख) अगर ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध को पूरा करने के लिए तैनात किसी व्यक्ति की मज़दूरी के भुगतान में कोई चूक होती है, और यदि इसके लिए श्रम अधिकारियों के कार्यालय में कोई दावा दायर किया जाता है और श्रम अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार उसका सबूत दिया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करने पर, बैंक ठेकेदार की ओर से उक्त श्रम अधिकारियों को ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है और इस तरह भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी। (ग) यदि श्रम अधिकारियों के किसी निर्देश या किसी श्रम कानून या नियमों के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी राशि को ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर बैंक को देय माना जाएगा। बैंक ठेकेदार को देय राशि या 'परफॉर्मेंस बैंक गारंटी' से कटौती करके ठेकेदार से वह राशि वसूल करने का हकदार होगा। यदि किसी लागू कानून या अधिनियम में संशोधन किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, उसे बदला जाता है या किसी बाद के कानून द्वारा उसकी जगह नया कानून लाया जाता है, तो संशोधित, बदले गए या नए प्रावधानों को मौजूदा प्रावधानों की जगह लागू माना जाएगा।
34.	**ठेकेदार द्वारा देय लेवी/कर**
	(क) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी), शुल्क, लेवी और रॉयल्टी, या इस अनुबंध से संबंधित कोई अन्य लागू टैक्स, ठेकेदार को चुकाने होंगे और बैंक इस संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। (ख) ठेकेदार द्वारा दी गई सर्विस के लिए जीएसटी का भुगतान करने के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है। टैक्स अथॉरिटी को जीएसटी का भुगतान करना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। ठेकेदार को जीएसटी और अन्य रिटर्न जमा करने के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंक को दस्तावेज़ी सबूत जमा करने होंगे।

	इनकम टैक्स, जीएसटी पर टीडीएस या सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य टैक्स को ठेकेदार को देय मासिक बिलों से काटा जाएगा (जैसा लागू हो) और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
35.	**क्षतिपूर्ति की शर्त**
	ठेकेदार, आरबीआई और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, डायरेक्टरों और प्रतिनिधियों को उन सभी दावों (तीसरे पक्ष के दावों सहित), कार्रवाइयों, नुकसानों, हर्जाने, लागतों, खर्चों और शुल्कों (कानूनी खर्चों सहित) से सुरक्षित रखेगा जो ठेकेदार की चूक के कारण बैंक को उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि: (क) अनुबंध की अवधि के दौरान सरकार या अन्य कानूनी अधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या (ख) अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन या उन्हें पूरा न करना; या (ग) ठेकेदार द्वारा किए गए बयानों और गारंटियों का उल्लंघन; या (घ) ठेकेदार या ठेकेदार से जुड़े कारणों से किसी तीसरे पक्ष द्वारा लापरवाही या धोखाधड़ी वाला काम या चूक; या (ङ) ठेकेदार, बैंक को अपने कर्मचारियों के किसी भी दावे से भी सुरक्षित रखेगा और यह ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताए कि बैंक के खिलाफ उनका कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी सेवा की शर्तों या किसी अन्य मामले में बैंक के साथ या बैंक के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे। (च) इसके अलावा, ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से हर समय सुरक्षित रखेगा जो 'कोड ऑफ़ सोशल सिक्योरिटी, 2020' या उसके तहत बने नियमों, या इस करार के उद्देश्य से नियुक्त किसी व्यक्ति को हुई दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय मुआवज़े के किसी कानून या नियमों के तहत किए जा सकते हैं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया राशि के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक या कार्यों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार, बैंक को अपने द्वारा तैनात कर्मचारियों से संबंधित किसी भी दावे से सुरक्षित रखेगा। यदि तैनात किया गया ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में शामिल होता है, तो उस विवाद का सामना करना मुख्य रूप से ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। यदि बैंक को मामले में पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले का सामना करना पड़ता है, तो वकील की फीस और अन्य खर्चों के रूप में हुए वास्तविक खर्चों की भरपाई बैंक को की जाएगी; ठेकेदार को मांग किए जाने पर ये खर्च बैंक को पहले ही चुकाने होंगे। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक पर किसी भी प्रकार की वित्तीय या अन्य कोई देनदारी न आए और वह इस संबंध में बैंक को सुरक्षित रखेगा।
36.	**विवादों का निपटारा और मध्यस्थता**
	(i) अगर अनुबंध या काम को पूरा करने के संबंध में बैंक और ठेकेदार के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है, तो दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के ज़रिए, अच्छी नीयत से,

	90 दिनों के अंदर उसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह समय-सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत/शांतिपूर्ण चर्चा के लिए नोटिस देता है। बैंक विवाद को सुलझाने के लिए एक आंतरिक 'विवाद समाधान समिति' (डीआरसी) बना सकता है। (ii) अगर तय समय के अंदर कोई शांतिपूर्ण करार नहीं हो पाता है, तो अनसुलझे विवाद को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से चुने गए एकमात्र मध्यस्थ को सौंपा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996' (समय-समय पर हुए संशोधनों के साथ) की धारा 29बी में बताई गई 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के तहत की जाएगी। इस तरह नियुक्त मध्यस्थ का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, ठेकेदार को इस करार के तहत अपनी अनुबंध संबंधी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहना होगा, जब तक कि बैंक उसे ऐसा करने से छूट न दे दे। यह अनुबंध केवल दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
37.	**अदालत का अधिकार-क्षेत्र**
	इस करार से जुड़े या इससे किसी भी तरह संबंधित सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल नई दिल्ली की अदालतों को ही इनका निपटारा करने का अधिकार होगा।
38.	**बैंक की संपत्ति को नुकसान**
	तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जाएगी और इसकी राशि ठेकेदार को उचित नोटिस देने के बाद तय की जाएगी। इस मामले में फ़ैसला सक्षम अधिकारी लेंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के जनरल मैनेजर (संपदा) होंगे। हालाँकि, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिनका फ़ैसला इस मामले में अंतिम होगा।
39.	**जानकारी गुप्त रखने की शर्त**
	क. ठेकेदार और उसके द्वारा बैंक के परिसर में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर्मचारी, बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा किसी तीसरे पक्ष से नहीं करेंगे—चाहे सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से—जो इस अनुबंध से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय ठेकेदार को मिली हों या जिसकी जानकारी उसे हुई हो; और वे हर समय इसे पूरी तरह गोपनीय रखेंगे। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जो इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर या कहीं और काम का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे, न ही प्रकाशित होने देंगे और न ही उसका खुलासा करेंगे। ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर इसे ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक हर्जाने का

	दावा करने/अनुबंध खत्म करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ख. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने की जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूरी हों। गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारियां, किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या खत्म होने के बाद भी बनी रहेंगी।
40.	**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**
	बैंक परिसर में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा। क. यदि बैंक परिसर के भीतर ठेकेदार के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष दर्ज की जाएगी। यह समिति शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ख. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत किए जाने पर, बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' उस पर संज्ञान लेगी। ग. यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो किसी भी प्रकार के मौद्रिक मुआवजे (जैसे कि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होने पर बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई मौद्रिक राहत) के भुगतान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। घ. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन (अपडेटेड) सूची उपलब्ध कराएगा।
41.	**अप्रत्याशित घटना की स्थितियाँ**
	(क) इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में होने वाली किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर ऐसी देरी उनके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होती है। इन परिस्थितियों में सरकारों के काम, दैवीय घटनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं। हालाँकि, देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, ठेकेदार को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह 'फोर्स मेज्योर' घटना के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। (ख) कोई भी पक्ष ऐसी घटना के कारण, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के संबंध में

	अनुबंध को खत्म करने का हकदार नहीं होगा। (ग) घटना के खत्म होने या समाप्त हो जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अनुबंध के तहत ज़िम्मेदारियों को फिर से शुरू किया जाएगा। यदि घटना के कारण अनुबंध के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में आपसी सहमति से तय समय से ज़्यादा देरी होती है या रुकावट आती है, तो कोई भी पक्ष अपनी मर्ज़ी से अनुबंध को खत्म कर सकता है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक - I निविदा का प्रपत्र

स्थान:
दिनांक:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय
रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग,
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

मैंने/हमने नीचे दिए गए मेमोरेंडम में बताए गए काम के लिए निविदा का नोटिस, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें, बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश, और निविदा डॉक्यूमेंट की बाकी सभी बातें पढ़ और समझ ली हैं। साथ ही, मैंने/हमने काम की जगह का मुआयना कर लिया है और निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल कर ली है। इसलिए, मैं/हम इस बात के लिए तैयार हैं कि मेमोरेंडम में बताए गए काम को, उसमें तय समय के अंदर और प्राइस बिड में बताई गई दरों पर पूरा करें। यह काम अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों, करार के नियमों, बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों में लिखित सभी बातों के अनुसार और उन सभी शर्तों के पालन के साथ किया जाएगा जो इस पर लागू होती हैं।

ज्ञापन

एनआईटी नंबर / ई-निविदा नंबर.	**आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/26-27/ईटी/201**
काम का नाम:	**एमओबी**, **आरबीआई**, **नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया के अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाना और व्यू कटर लगाना।**
निविदा का अनुमानित मूल्य	**₹11.85** लाख (ग्यारह लाख पचासी हज़ार रुपये मात्र) टैक्स और सीपीओएएच सहित।
अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ईएमडी)	शून्य
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी))	5% (अनुबंध की वैल्यू के 5% के बराबर अमाउंट की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी या ऑनलाइन मोड (एनईएफटी / आरटीजीएस) के ज़रिए पीबीजी के बराबर अमाउंट ठेकेदार से लिया जाएगा ताकि अनुबंध की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा किया जा सके। पीबीजी जमा करने के बाद, काम एल-1 बिडर को दिया जाएगा। पीबीजी को काम के वर्चुअल पूरा होने तक रखा जाएगा।

2. हम निविदा के खंड III (क) में बताई गई वैलिडिटी अवधि तक निविदा को खुला रखने और इस अवधि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई किसी भी अवधि के दौरान इसकी शर्तों और नियमों में कोई बदलाव न करने के लिए सहमत हैं।

3. अगर मैं/हम खंड IV(ख) में बताई गई समय-सीमा के भीतर तय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने में असफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, किसी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, उस अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट को पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, अगर मैं/हम खंड III(क) में बताए अनुसार काम शुरू करने में असफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, उस परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी निविदा डॉक्यूमेंट में बताए गए सभी कामों को उसमें दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार पूरा करने की गारंटी होगी।

4. इसके अलावा, मैं/हम सहमत हैं कि यदि ऊपर बताए अनुसार अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट या परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी ज़ब्त कर ली जाती है, तो मुझे/हमें काम की री-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

5. मैं/हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि इसी तरह का योग्य काम किसी दूसरे ठेकेदार से 'बैक-टू-बैक' आधार पर नहीं करवाया गया है। साथ ही, अगर ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक में निविदा भरने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर काम शुरू होने की तारीख से पहले ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो बैंक 'अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट' (बयाना राशि) या 'परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी' की पूरी रकम ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा से जुड़े दस्तावेज़ों और काम से संबंधित अन्य रिकॉर्ड को गुप्त/कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज़ मानेंगे और उनसे मिली जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जिसे यह जानकारी देने के लिए मैं/हम अधिकृत नहीं हैं, और न ही इस जानकारी का इस्तेमाल रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह तरीके से करेंगे।

7. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम एतद्द्वारा अनुबंध की सभी शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहाँ तक वे लागू होते हैं; या ऐसा न करने पर, उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

20XX. के .....माह का .....दिन

मेसर्स _____के लिए और उनकी ओर से

_____

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____

दिनांक: पदनाम _____

स्थान _____
दिनांक _____
(इस निविदा के अनुलग्नक III के अनुसार तय फ़ॉर्मेट में पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड ट्रूकॉपी अपलोड की जानी चाहिए)।

गवाहों के हस्ताक्षर और पते गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i) (ii)		

अनुलग्नक II - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का फ़ॉर्मेट

(₹100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

..... (काम का नाम)

हम..... (बोली लगाने वाले का नाम और उनके रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता) एतद्द्वारा श्री/सुश्री..... (पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक का नाम और घर का पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ काम कर रहे हैं और ..... पद पर हैं, अपना अटॉर्नी नियुक्त और अधिकृत करते हैं। वे हमारे नाम और हमारी ओर से, बताए गए प्रोजेक्ट के लिए हमारी बोली से जुड़े या उससे संबंधित सभी ज़रूरी काम, कार्य और गतिविधियाँ करेंगे। इसमें सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/जवाब देना, आरबीआई के सामने सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव से जुड़े सभी मामलों में आम तौर पर आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कामों और गतिविधियों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और यह मानते हैं कि हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, काम और गतिविधियाँ हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएँगे।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

नाम

बोली लगाने वाले की मुहर/सील

नोट:

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर सही ढंग से स्टाम्प लगा होना चाहिए और उसे नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। बोली लगाने वाले द्वारा दी गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

अनुलग्नक - III: बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर अंडरटेकिंग (वचन-पत्र)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, नई दिल्ली

फर्म/एजेंसी/बोली लगाने वाले का नाम.....

निविदा का नाम..... अंतिम तिथि: .....

महोदय,

1. मैं/हम एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज़ में बताई गई सभी शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने/हमने इसमें शामिल सभी शर्तों, नियमों और निर्देशों आदि को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

3. मैं/हम 'कोड ऑन वेजेज़, 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020', 'नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938', 'बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986', 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' और रिलीविंग चार्ज, यूनिफॉर्म और उससे संबंधित भत्ते तथा समय-समय पर लागू होने वाले अन्य शुल्कों के प्रावधानों का पालन करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम तैनात कर्मचारियों को 'कोड ऑन वेजेज़ 2019' (जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है) के अनुसार वेतन का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

5. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हमारी एजेंसी द्वारा अन्य सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए पूरा काम किया जाएगा।

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)
बोली लगाने वाले का नाम और पता
टेलीफोन नंबर

अनुलग्नक IV - सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा निषेध (डिबार) किए जाने की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र

(बिडर को अपने लेटरहेड पर जमा करना है)

<u>कार्य का नाम</u>: एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया में अंदर की बाउंड्री वॉल पर **(1)** एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और व्यू कटर देने के लिए ई-निविदा

महोदय,

1. मैं/हम (बिडर का नाम) यह घोषणा करता/करती हूँ कि
क) मुझे/हमें या हमारी किसी सहयोगी फर्म* या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर को पिछले तीन सालों में (बिड जमा करने की आखिरी तारीख) तक भारत या किसी दूसरे देश में किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन/एंटिटी द्वारा डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
ख) मैंने/हमें या हमारी किसी सहयोगी फर्म* या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर ने पिछले तीन सालों में (बिड जमा करने की आखिरी तारीख) तक भारत या किसी दूसरे देश में किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन/एंटिटी के साथ कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी (जैसा कि निविदा में बताया गया है) का कोई उल्लंघन नहीं किया है। c) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी सहयोगी फर्म* या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर को ऊपर दिए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक संस्था/एंटिटी द्वारा डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बताएंगे।

2. मैं/हम .....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे/हमें या हमारी सहयोगी फर्म* .....(सहयोगी फर्मों) का नाम) या हमारे पार्टनर/डायरेक्टर ..... (पार्टनर/डायरेक्टर का नाम) को (भारत या किसी दूसरे देश में पब्लिक संस्था का नाम और पता) द्वारा डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट किया जाता है और यह ... (तारीख) तक लागू है। ऐसे लेटर की एक कॉपी आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए अटैच है।

(बोली लगाने वाले की सील और हस्ताक्षर)
तारीख
स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू नहीं होता उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" तब कहा जाएगा जब मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसके पास कंट्रोलिंग आवाज़ हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

अनुलग्नक V - बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में वचन-पत्र का फॉर्मेट

[बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर]

सेवा में, दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

संदर्भ: एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया में (1) एक नंबर का सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और अंदर की बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर देने के लिए ई-निविदा

महोदय,
1. मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करते हैं कि किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है/नहीं की जा रही है।
1. मैं/हम ..... (बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ नीचे दी गई कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:
..... (कानूनी कार्रवाई की जानकारी, विचाराधीन प्रोजेक्ट, इसमें शामिल कानूनी अथॉरिटी वगैरह)
.....
हालांकि, हम यह पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई कानूनी कार्रवाई एम्पैनलमेंट के लिए एप्लीकेशन के अनुसार बैंक की ज़रूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता पर असर नहीं डालती है।
(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू नहीं है उसे काट दें)
2. इसके अलावा, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे किसी भी पूरे किए गए प्रोजेक्ट में कोई भी सिविल केस / लिटिगेशन / आर्बिट्रेशन वगैरह शुरू नहीं किया गया है।
2. इसके अलावा, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे पूरे किए गए प्रोजेक्ट में ये सिविल केस / लिटिगेशन / आर्बिट्रेशन केस शुरू किए गए थे/हैं:
..... (प्रोजेक्ट की डिटेल और एक्शन का टाइप वगैरह) .....
.....
(*नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू नहीं है उसे काट दें*)

रबर स्टैम्प के साथ बिडर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम
दिनांक
:
स्थान:

अनुलग्नक VI - करार की शर्तों का मसौदा

एक पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001; केंद्रीय कार्यालय: शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001 - जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा और दूसरी पक्ष के रूप में ..... (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच यह करार ..... तारीख को ..... में निष्पादित किया गया।

चूंकि बैंक एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया में (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने का काम करवाना चाहता है और उसने किए जाने वाले कामों के लिए ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन तैयार करवाए हैं।
और चूंकि उक्त ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन और मात्राओं की सूची पर संबंधित पक्षों ने या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।
और चूंकि ठेकेदार ने यहां बताई गई शर्तों और 'विशेष शर्तों' तथा 'मात्राओं की सूची' और 'अनुबंध की शर्तों' में बताई गई शर्तों (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) के अधीन रहकर काम पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है; ये काम उक्त ड्रॉइंग में दिखाए गए हैं और/या उक्त स्पेसिफिकेशन में बताए गए हैं और मात्राओं की सूची में शामिल हैं, और इनके लिए तय दरों के अनुसार कुल राशि या उसके तहत देय कोई अन्य राशि (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा) का भुगतान किया जाएगा।

अब इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से सहमति व्यक्त की जाती है:.

1. उक्त शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि के बदले, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त ड्रॉइंग्स में दिखाए गए और उक्त स्पेसिफिकेशन्स और मात्राओं की अनुसूची में बताए गए काम को पूरा करेगा।

2. बैंक ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या कोई अन्य देय राशि, उक्त शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान करेगा।

3. उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ इस अनुबंध के तहत कार्यों की आर्किटेक्चरल प्लानिंग और डिज़ाइनिंग आदि के लिए 'महाप्रबंधक (तकनीकी)' होगा।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली कार्यों की देखरेख, बिलों के सर्टिफिकेशन, भुगतान करने और अनुबंध की विभिन्न शर्तों और नियमों को लागू करने की व्यवस्था सीधे करेगा।

5. उक्त शर्तों और विभिन्न अनुसूचियों को इस करार का हिस्सा माना जाएगा, और इसमें शामिल पक्ष उक्त शर्तों का पालन करेंगे और उनमें बताई गई अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।

6. यहाँ बताए गए करार और दस्तावेज़ इस अनुबंध का आधार होंगे।

7. यह अनुबंध न तो कोई निश्चित एकमुश्त अनुबंध है और न ही पीस-वर्क अनुबंध है, बल्कि यह "एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटि एरिया में (1) एक सुरक्षा वॉच टॉवर बनाने और आंतरिक बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने" का काम करने का अनुबंध है, जिसका भुगतान 'दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची' में दी गई दरों या उक्त शर्तों में बताए गए अनुसार वास्तविक मापी गई मात्राओं के आधार पर किया जाएगा।

8. ठेकेदार "एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटि एरिया में (1) एक सुरक्षा वॉच टॉवर

बनाने और आंतरिक बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने" और अन्य संबंधित कार्यों को करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, जैसा कि उक्त शर्तों में बताया गया है, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

9. बैंक के पास इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, काम की किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या काम के कुछ हिस्सों को करवाकर ड्रॉइंग्स और काम की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

10. इस अनुबंध में समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठेकेदार इस बात से सहमत है कि साइट सौंपे जाने के तुरंत बाद या तय तारीख (जो भी बाद में हो) से काम शुरू करेगा और 90 दिनों के भीतर पूरा काम खत्म करेगा, बशर्ते समय बढ़ाने के प्रावधान लागू न हों।

11. इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी पेमेंट केवल नई दिल्ली में किए जाएंगे।

12. इस करार से जुड़े या इससे पैदा होने वाले सभी विवाद नई दिल्ली में हुए माने जाएंगे और उन पर फैसला करने का अधिकार केवल नई दिल्ली की अदालतों को होगा।

13. ठेकेदार ने इस अनुबंध के सभी हिस्सों को पढ़ और पूरी तरह समझ लिया है। ठेकेदार निविदा में बताई गई मात्रा से ज़्यादा मात्रा के लिए पेमेंट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के प्रभारी इंजीनियर से विशेष लिखित निर्देश न मिले हों।

14. जानकारी गुप्त रखने की शर्त–

ठेकेदार और उसके द्वारा बैंक परिसर में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए कर्मचारी, बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा किसी तीसरे पक्ष से नहीं करेंगे। यह जानकारी उन्हें इस अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय मिली हो सकती है। वे हर समय इसे पूरी तरह गुप्त रखेंगे। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जो इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर या कहीं और काम का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे या खुलासा नहीं करेंगे। ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर इसे ठेकेदार की तरफ से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने/अनुबंध खत्म करने और कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी को गुप्त रखने की जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूरी हों। जानकारी गुप्त रखने और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ, किसी भी कारण से इस करार की अवधि समाप्त होने या इसके रद्द होने के बाद भी बनी रहेंगी।

15. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी को गुप्त रखने की बाध्यताओं का पूरी तरह से पालन हो।

16. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और

निवारण) अधिनियम, 2013

क. बैंक परिसर में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)

अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

ख. बैंक परिसर के भीतर अपने ही कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ग. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

घ. यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो किसी भी मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत दी जानी हो।

ङ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

च. ठेकेदार बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

17. गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समापन के बाद भी बने रहेंगे। ठेकेदार ने इस अनुबंध के विभिन्न हिस्सों को पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।

18. **फोर्स मेज्योर (अप्रत्याशित घटना) की शर्तें:** इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसी देरी उनके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, दैवीय कार्यों, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली कोई भी देरी शामिल है। हालाँकि, देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, ठेकेदार तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा। ठेकेदार फोर्स मेज्योर घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। कोई भी पक्ष, ऐसी घटना के कारण, अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने के बाद जितनी जल्दी हो सके अनुबंध के तहत दायित्वों को फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का निष्पादन रोका या विलंबित किया जाता है आपसी सहमति से तय समय-सीमा से ज़्यादा समय तक किसी घटना के बने रहने पर, कोई भी पक्ष अपनी मर्ज़ी से अनुबंध खत्म कर सकता है।

अगर ठेकेदार कोई पार्टनरशिप या व्यक्तिगत प्रोप्राइटरशिप है	इसके प्रमाण के तौर पर, बैंक और ठेकेदार ने इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों पर, ऊपर लिखी तारीख और साल को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

अगर ठेकेदार कोई कंपनी है	इसके प्रमाण के तौर पर, बैंक ने अपने अधिकृत अधिकारी के ज़रिए इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी कॉमन सील (आधिकारिक मुहर) इस पर लगवाई है और अपनी ओर से इसकी दो प्रतियों को निष्पादित करवाया है; यह सब उसी दिन और वर्ष में किया गया है जिसका उल्लेख सबसे पहले ऊपर किया गया है।

_____

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में –

गवाह –

1. _____

पता:

_____

_____

2. _____

पता:

_____

_____

यदि पार्टी एक साझेदारी
फर्म है

या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया _____

प्रोपराइटरशिप

_____

की उपस्थिति में –

गवाह –

1. _____ पता:
_____
_____

2. _____
पता:
_____
—
_____

–
_____की सामान्य मुहर

_____

अगर ठेकेदार कोई कंपनी है।

17 सितंबर, 2011 को हुई मीटिंग में इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अनुसार इसे यहाँ जोड़ा गया है।

_____

की उपस्थिति में –

गवाह:

1._____

2._____

अगर ठेकेदार डायरेक्टर जिसने इन विलेखों पर टोकन के रूप में हस्ताक्षर किया है

.....की उपस्थिति में कॉमन सील के साथ हस्ताक्षर करता है

तो हस्ताक्षर 1 के साथ मेल खाना चाहिए।
..... 2. आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन में सीलिंग क्लॉज़ से मेल खाना चाहिए।

अगर ठेकेदार की ओर से पावर ऑफ़ अटॉर्नी वाला व्यक्ति साइन करता है और डॉक्यूमेंट सौंपता है (चाहे वह कंपनी हो या कोई व्यक्ति) –

श्री .....

और विधिवत नियुक्त अटॉर्नी

स्थान: **ठेकेदार के हस्ताक्षर**
दिनांक: (मुहर)

अनुलग्नक VII - भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सीलबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साइन के साथ जमा करना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली।

काम का नाम:

मैंने/हमने (बोली लगाने वाले का नाम और पता, जिसमें बोली लगाने वाले का देश भी शामिल है) ने 23 जुलाई, 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) एफ.नं. 6/18/2019- पीपीडी और उसके बाद सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर/रिविज़न को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर रोक के बारे में है।

2. मैं/हम सर्टिफ़ाई करता/करती हूँ कि (बोली लगाने वाले का नाम)
भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश से नहीं है, या
ख. भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश से है और
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसका सर्टिफिकेट साथ में है, या
ग. भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर वाले देश से है जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन दी हैं, या
घ. भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर वाले देश से है जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

(जो भी ऊपर लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम यह भी सर्टिफ़ाई करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम) इस बारे में सभी ज़रूरतें पूरी करता है और ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम और उसके बाद के ऑर्डर/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करता/करती हूँ कि ऐसे अनुबंध के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई से सब-अनुबंध करने की इजाज़त है, मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ ज़मीनी बॉर्डर वाले देश(देशों) के किसी ठेकेदार को कोई काम सब-अनुबंध नहीं करूँगा, जब तक कि वह ठेकेदार ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम/ऑर्डर में दी गई सभी ज़रूरतें पूरी न कर ले।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, अगर हमारे द्वारा जमा किया गया यह अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफ़िकेट / सर्टिफ़िकेट झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा / वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट / टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट / परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में भाग लेने से रोकना शामिल है।

बिडर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, स्टैम्प के साथ

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक VIII - परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाने और सिक्योरिटि एरिया में अंदरूनी बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर लगाने के लिए ई-निविदा – **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी**

चूंकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, ने अपने नई दिल्ली स्थित कार्यालय (6, संसद मार्ग) के माध्यम से (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) इस काम के लिए अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) मेसर्स ..... (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है।

और चूंकि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत आरबीआई को एक परफॉर्मेंस.....गारंटी.....कुल.....राशि.....₹.....(रुपये..... ..... मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) की जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि वह अनुबंध में दी गई शर्तों और नियमों को ठीक से पूरा कर सके।

हम, ... (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार मेसर्स ..... के अनुरोध पर, आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर ₹..... से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी इस बात की पुष्टि करती है

1. हम..... (बैंक का नाम) आरबीआई और उनके उत्तराधिकारियों/असाइनियों के साथ सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है (यह नतीजा हम पर और उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा), तो आरबीआई के माँगने पर हम बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹..... (रुपये..... मात्र) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देनदारी ₹ ..... (रुपये..... मात्र) से अधिक न हो।
2. हम यह भी मानते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई ₹..... (केवल ..... रुपये) तक की

राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के करेंगे। यह भुगतान आरबीआई द्वारा लिखित नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि यह राशि उन्हें देय है, केवल उनकी मांग पर किया जाएगा। हम किसी और सबूत या प्रमाण की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा; हम किसी भी तरह से उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक आरबीआई को मांगी गई राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार ने किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ के सामने लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद उठाया हो। इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पक्की और स्पष्ट होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस के मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के भीतर आरबीआई द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार या करारों या अन्य करारों से स्वतंत्र होगी।

4. आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके साथ ही यह भी सहमत हैं कि –

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत बताई गई किसी भी शर्त का पालन करने में आरबीआई की ओर से कोई ढील या कार्रवाई न करने, या ठेकेदार को आरबीआई द्वारा कोई समय देने या कोई रियायत दिखाने, या इससे जुड़े किसी अन्य मामले से हमें या इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पर ही समाप्त होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा ₹..... (केवल ..... रुपये) से ज़्यादा न होने वाली राशि का भुगतान करने पर समाप्त होगी।

ख) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी ₹..... (केवल ..... रुपये) की राशि से ज़्यादा नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी हमारे उक्त ग्राहकों/क्लाइंट्स की ओर से किसी कमी या अनियमितता, या उनके दायित्वों, या हमारे उक्त ग्राहकों के गठन में बदलाव या उनके भंग होने से प्रभावित नहीं होगी।

घ) यह गारंटी ..... (अनुबंध की समाप्ति के 60 दिन बाद तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि आरबीआई के चाहने पर, इस गारंटी को उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ आगे की अवधि के लिए रिन्यू किया जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है।

ङ) इस दस्तावेज़ के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक बनी रहेगी जब तक कि इसे ऊपर बताए अनुसार ..... तारीख को या उस दिन तक रिन्यू न किया जाए जब हमारे संबंधित ग्राहक अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें (जिसके लिए आरबीआई का लिखित सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत माना जाएगा)—इनमें से जो भी तारीख बाद में आएगी, वही लागू होगी। अगर बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख या किसी बढ़ाई गई अवधि के छह महीने के भीतर हमारे ख़िलाफ़ कोई दावा, मुक़दमा या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो

इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे और हमें इस दस्तावेज़ के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके गवाह के तौर पर मैंने/हमने बैंक की तरफ से इस गारंटी पर साइन और सील लगाई है, तारीख .....(महीना) (साल) को, जिसके लिए मुझे सही तरीके से अधिकृत किया गया है।

के लिए और उनकी ओर से ..... (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के साइन
नाम:
पदनाम
बैंक का स्टैम्प/सील
ऊपर बताए गए व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से और उनके लिए साइन, सील और डिलीवर किया गया,
की उपस्थिति में:

गवाह 1

हस्ताक्षर ..... नाम .....
पता .....

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी के साइन होंगे जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा)

जिस परिशिष्ट का पहले उल्लेख किया गया है

इसमें पहले बताई गई शर्तों के क्लॉज, ठेकेदार के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों का संदर्भ।

पैरा नं.	संदर्भ	विवरण
खंड IV(ख) की सामान्य शर्तें और नियम का पॉइंट 20	दोष देयता अवधि	बारह महीने
खंड III (क) का 15 - बोली लगाने वालों के लिए सामान्य निर्देश	कोट की गई दरों की वैधता	निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन
खंड IV(ख) की सामान्य शर्तें और नियम का पॉइंट 17	अंतिम माप की अवधि	काम के वर्चुअल तौर पर पूरा होने की तारीख से तीन महीने।
खंड III (क) का 17 - बोली लगाने वालों के लिए सामान्य निर्देश	पूरा होने की तारीख	काम पूरा करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी होने के 14वें दिन से 60 दिन का समय दिया गया है।
खंड IV(ख) की सामान्य शर्तें और नियम का पॉइंट 5	निर्धारित हर्जाने की दर	पूरे काम के लिए अनुबंध की रकम के अधिकतम 10% तक, हर हफ़्ते अनुबंध की रकम का 0.25% LD (लिक्विडेटेड डैमेज) लगेगा। निविदा भरने वाले को काम शुरू करने से पहले काम का एक डिटेल्ड प्रोग्राम तैयार करना होगा, जिसे बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी।
21 खंड III (क) बोली लगाने के लिए सामान्य	रिटेंशन प्रतिशत	हर बिल से 5%
27 IV(ख) सामान्य नियम और शर्तें	भुगतान के लिए सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि	अनुबंध की सभी शर्तों और नियमों को पूरा करने पर, आखिरी बिल के लिए तीन महीने।

दिनांक: - निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

स्थान: - नाम और पता: फोन/मोबाइल नं..

सुरक्षा नियम

1. आसानी से उपलब्ध जगह पर फर्स्ट एड (प्राथमिक चिकित्सा) का सामान रखा जाना चाहिए, जिसमें स्टेरलाइज़्ड ड्रेसिंग और कॉटन वूल का पर्याप्त स्टॉक हो।
2. अगर किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत हो, तो उसे बिना समय बर्बाद किए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया जाना चाहिए।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए मज़दूरों को उपयुक्त और मज़बूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (साफ़ जगह) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाए, तो उसे पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर को लगाया जाना चाहिए।
5. खुदाई से निकली मिट्टी या मलबा खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई (जो भी ज़्यादा हो) के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. इमारत के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी खुले हिस्से में लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए उपयुक्त फेंसिंग या रेलिंग लगाई जानी चाहिए, जिसकी कम से कम ऊँचाई एक मीटर हो।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर मलबा या सामान इतना ज़्यादा नहीं रखा जाना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. जो मज़दूर डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने का काम करते हैं, उन्हें सुरक्षा वाले जूते और रबर के दस्ताने दिए जाने चाहिए।
9. (i) लेड (सीसा) वाले पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाना चाहिए।

(ii) जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जा रहा हो या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़ा या खुरचा जा रहा हो, तो मज़दूरों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त फेसमास्क दिए जाने चाहिए।

10. ठेकेदार को पेंटरों को ओवरऑल (सुरक्षात्मक कपड़े) देने चाहिए और काम रुकने के समय पेंटरों के हाथ-मुँह धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ देनी चाहिए।
11. काम में इस्तेमाल होने वाली उठाने वाली मशीनें (hoisting machines) और टैकल, जिनमें उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट शामिल हैं, पूरी तरह से सही हालत में होने चाहिए।
12. सामान उठाने या नीचे उतारने या सुपरविज़न के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियाँ मज़बूत और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
13. बाहरी काम के दौरान सुरक्षा के लिए और परिसर में मौजूद लोगों को किसी भी चोट से बचाने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा जाल लगाया जाना चाहिए।
14. भारी एम.एस. स्ट्रक्चर का काम करते समय साइट पर सभी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी वर्कर को चोट न लगे और आस-पास की इमारतों आदि को कोई नुकसान न हो।

स्थान: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक: नाम और पता:

विशेष निर्देश

1. काम पूरा करने के लिए दिया गया समय: **वर्क ऑर्डर जारी होने के 14वें दिन से 60 दिन।** अगर ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे **अनुबंध की रकम का 0.25% प्रति सप्ताह की दर से एलडी (लिक्विडेटेड डैमेज) देना होगा**, जो पूरे काम के लिए अनुबंध की रकम के अधिकतम 10% तक हो सकता है। निविदा भरने वाले को काम शुरू करने से पहले काम का एक डिटेल्ड प्रोग्राम तैयार करना होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी। मज़दूरों को साइट पर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

2. ठेकेदार को काम की जगह पर सभी मटीरियल, टूल्स और प्लांट्स वगैरह को ऊपर ले जाने और उन्हें नीचे उतारने (साथ ही मलबा और बचा हुआ मटीरियल भी) का अपना इंतज़ाम करना होगा। इस दौरान धूल, परेशानी, सामान गिरने या सुरक्षा से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए, ठेकेदार को अपनी योजना पहले से ही बैंक से मंज़ूर करानी होगी और सुझाए गए बदलावों को शामिल करना होगा। साइट पर एक ट्रक-लोड से ज़्यादा मलबा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी।

3. स्टाफ, रहने वालों और आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ज़रूरी समय के दौरान ठेकेदार को सही और पर्याप्त होर्डिंग स्क्रीन और फेंसिंग लगानी होगी और काम के दौरान उन्हें अच्छी हालत में रखना होगा। जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ रात में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होर्डिंग या फेंसिंग पर अच्छी रोशनी का इंतज़ाम करना होगा; इसके लिए फर्म को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा। काम के दौरान हुए किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करनी होगी। निविदा भरने वालों से अनुरोध है कि वे काम की प्रकृति और मात्रा का अंदाज़ा लगाने के लिए साइट का निरीक्षण करें।

4. ठेकेदार को बिल्डिंग के अंदर मलबे का कोई भी सामान जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। प्रभारी इंजीनियर की मंज़ूरी से पहले से ही ज़रूरी इंतज़ाम करने होंगे ताकि सभी मलबे को सही शूट्स के ज़रिए ज़मीन पर लाया जा सके और बैंक परिसर से हटाने से पहले उन्हें बताई गई जगह पर रखा जा सके।

5. काम के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे मज़दूरों और सुपरवाइज़रों को सुरक्षित रूप से काम करने में आसानी हो और वे कम से कम तीन से चार लेवल पर एक साथ लोगों, मटीरियल और मलबे का भार उठा सकें।

6. ठेकेदार को कोशिश करनी चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर धूल, गंदगी, शोर और परेशानी कम से कम हो। ठेकेदार को धूल-मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए रोज़ाना उस जगह की सफ़ाई का इंतज़ाम अपने खर्च पर करना होगा।

7. मरम्मत का काम तब करना होगा जब वहाँ लोग रह रहे हों। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ रहने वालों को कम से कम परेशानी हो और वह इसमें पूरा सहयोग करे।

8. ठेकेदार को पानी और बिजली का कनेक्शन लेने का इंतज़ाम खुद करना होगा और इनका इस्तेमाल सही ढंग से करना होगा।

दिनांक: -

स्थान- पता:

फोन/मोबाइल नं.

ईमेल

ठेकेदार के हस्ताक्षर, नाम और मुहर के साथ

सामग्री, विनिर्देश और माप की विधि - सामग्री

1. गुणवत्ता

काम के लिए इस्तेमाल होने वाला सारा सामान संबंधित बीआईएस से पक्का किया जाएगा और जैसा कि यहां बताया गया है, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होगी और उसे मंज़ूरी दी जाएगी और आगे बताए गए टेस्ट का सख्ती से पालन किया जाएगा या जहां टेस्ट लिस्ट स्पेसिफिकेशन में नहीं दिए गए हैं, वहां इंजीनियर द्वारा मंज़ूर संबंधित इंडिया स्टैंडर्ड्स के लेटेस्ट एडिशन की ज़रूरतों का पालन किया जाएगा।

2. जांच और परीक्षण

अगर ज़रूरत हो**,** तो काम में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मटीरियल की जांच और टेस्टिंग**,** अनुबंध की शर्तों और स्पेसिफिकेशन में बताए गए तरीके से की जाएगी। सभी टेस्ट के लिए ज़रूरी सैंपल की लागत अनुबंध की दरों में ही शामिल मानी जाएगी। जब तक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि से मंज़ूरी न मिल जाए**,** तब तक काम में किसी भी मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साइट पर सप्लाई किए गए मटीरियल के साथ उससे जुड़ा मैन्युफैक्चरर का टेस्ट सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए**;** इस मटीरियल को टेस्टिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास भेजा जा सकता है। **अगर बैंक के इंजीनियर को ज़रूरत लगे,** तो क्वालिटी कंट्रोल का काम सीधे आईआईटी**,** एनआईटी**,** सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों**,** सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई**)** और दूसरे सेंट्रल/स्टेट सरकारी संस्थानों को सौंपा जा सकता है**; इस मामले में खर्च ठेकेदार के बिल से वसूला जाएगा।**

3.सैंपल

काम में इस्तेमाल या शामिल किए जाने वाले और ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सभी मटीरियल के सैंपल, इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि कभी भी मांग सकते हैं।.

4. स्वतंत्र टेस्ट

अगर ज़रूरत हो, तो सप्लायर के काम के टेस्ट और एनालिसिस की जाँच करने के लिए, इंजीनियर/बैंक द्वारा नियुक्त टेस्टिंग हाउस/एनआईटी/आईआईटी या एनालिस्ट समय-समय पर किसी भी मटीरियल का स्वतंत्र टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। टेस्टिंग और मंज़ूरी के नियम संबंधित आईएस कोड में बताए गए अनुसार होंगे। ठेकेदार को इंजीनियर के निर्देशानुसार टेस्टिंग हाउस या एनालिस्ट को अपने खर्च पर मटीरियल सप्लाई और डिलीवर करना होगा। अगर किसी टेस्ट का नतीजा इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को संतोषजनक नहीं लगता है, तो संबंधित मटीरियल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी टेस्ट का खर्च ठेकेदार उठाएगा।

5. माप का तरीका

जब तक अन्यथा न बताया गया हो, माप का तरीका आईएस कोड के नवीनतम वर्शन के अनुसार होगा।

मंज़ूर की गई सामग्रियों की सूची

1. सभी मटीरियल अच्छी क्वालिटी (फर्स्ट क्वालिटी) के और आईएसआई मार्क/आईएसआई स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए।
2. अगर बताए गए अनुमोदित ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा मंज़ूर किए गए उसी तरह के दूसरे ब्रांड का इस्तेमाल काम में किया जा सकता है।
3. जब भी ठेकेदार किसी दूसरे ब्रांड (यानी बताए गए ब्रांड के अलावा) का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देता है, तो ऐसा बैंक या बैंक के इंजीनियर की मंज़ूरी लेने के बाद ही किया जाएगा। इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च और समय ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी और इस संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीमेंट	ओपीसी (एसीसी, अल्ट्रा टेक, अंबुजा, बिड़ला, रामको या अनुमोदित बराबर का मेक)।
स्ट्रक्चरल स्टील	टाटा, सेल, जिंदल हिसार, जेएसडब्ल्यू या अनुमोदित बराबर का मेक।
यूपीवीसी खिड़कियां / दरवाज़े	फेनेस्टा, एआईएस, वाणिज्यिक, एल्यूमिनियम प्लास्टिक या अनुमोदित बराबर का मेक।
टफन्ड ग्लास	सेंट गोबेन, एआईएस, मोदीगार्ड या कोई अन्य अनुमोदित बराबर का मेक।
पीपीजीएल/पीपीजीआई रूफ़िंग शीट्स	टाटा, जिंदल, जेएसडब्ल्यू, एस्सार या कोई अन्य अनुमोदित बराबर का मेक।
पेंट और प्राइमर का सामान	एशियाई, ड्यूलक्स, बर्जर या अनुमोदित बराबर का मेक।

नोट: काम में इस्तेमाल करने से पहले सभी मटीरियल को "बैंक के इंजीनियर" से मंज़ूर करवाना होगा।

स्थान: निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक: नाम और पता

फोन/मोबाइल नं.. : ई-मेल आईडी:

वॉचटावर का संभावित रेखाचित्र

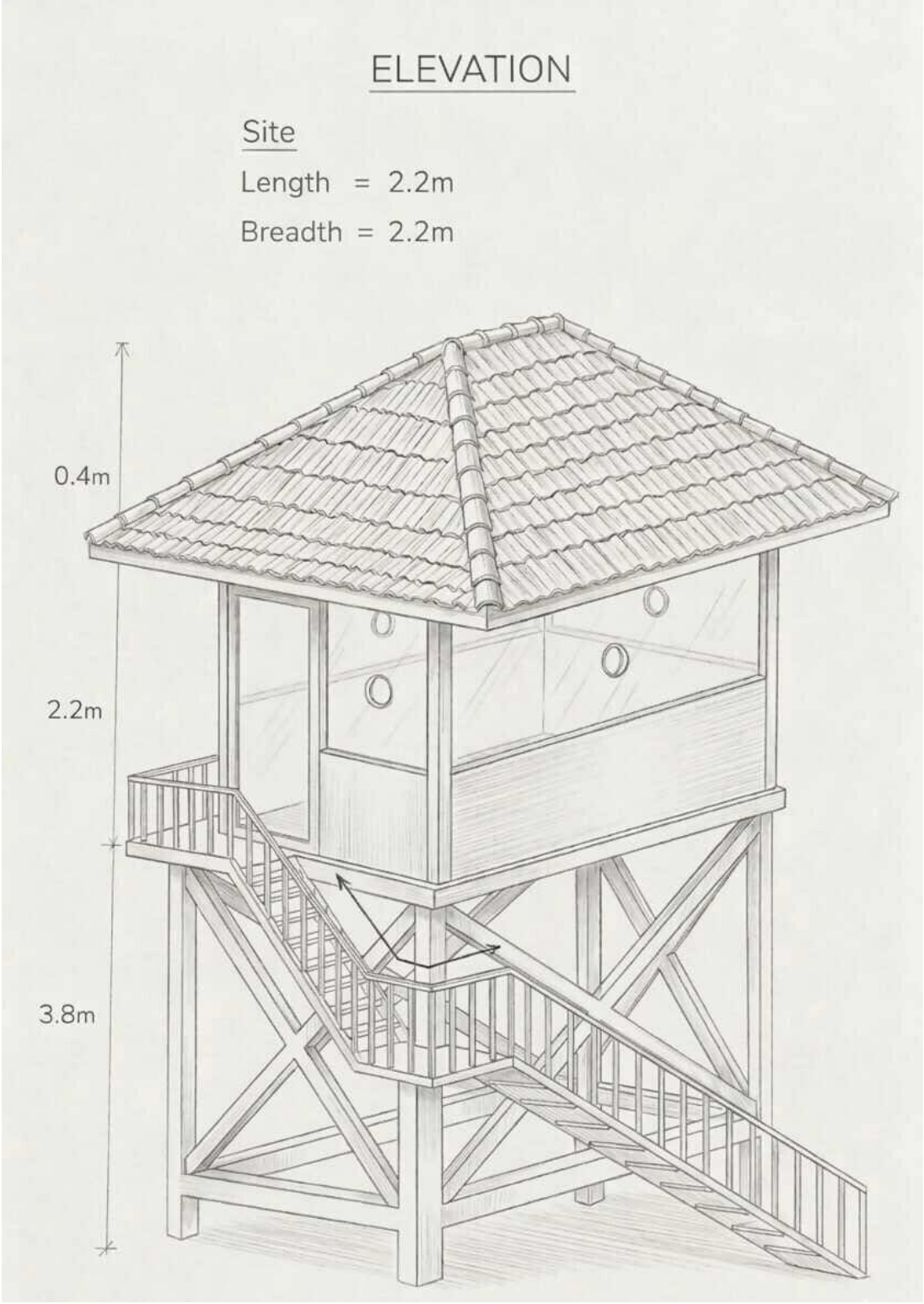

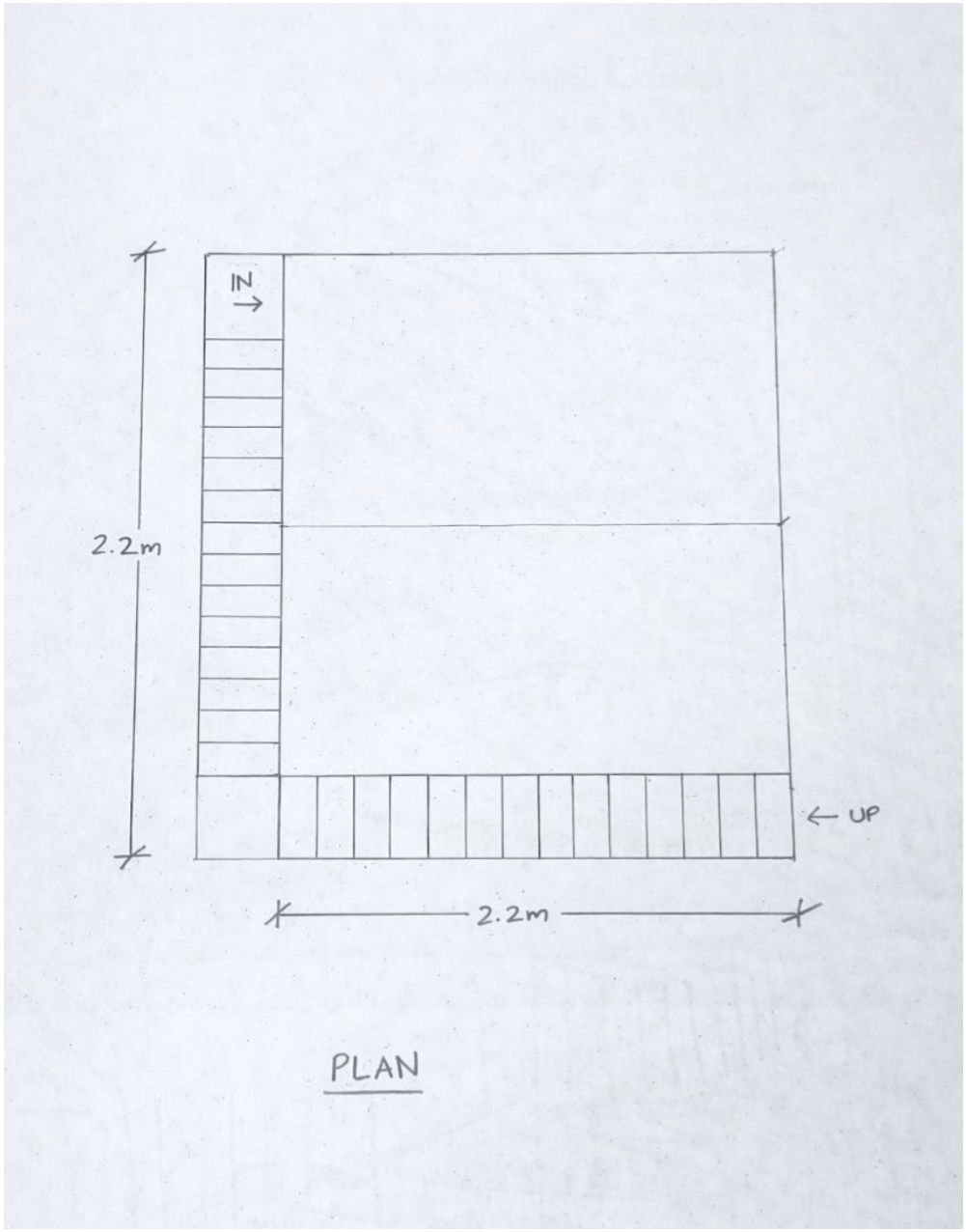

PLAN

सामग्री, श्रम, सेवाओं आदि मात्रा की अनुसूची की प्रस्तावना

1. यह काम ऐसी जगह पर किया जाना है जहाँ लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ रहने वालों को कम से कम परेशानी हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आस-पास की जगह को साफ़-सुथरा रखने के लिए सभी ज़रूरी उपाय किए जाएँगे।
2. निविदा भरने से पहले, ठेकेदार को साइट का मुआयना करना होगा ताकि वे काम की प्रकृति, दायरे और उपलब्ध जगह के साथ-साथ किसी भी तरह की रुकावट या पाबंदी को समझ सकें और साइट से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें।
3. साइट पर काम करते समय सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को सुरक्षा बेल्ट, दस्ताने, हेलमेट आदि जैसी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
4. साइट पर किसी भी दुर्घटना या घटना से बचने के लिए मटीरियल को ठीक से और सावधानी से रखा और सुरक्षित किया जाना चाहिए।
5. मलबे को पास के म्युनिसिपल फ़ुटपाथ या परिसर के अंदर नहीं रखा जाएगा और ढेर लगने से बचाने के लिए इसे समय-समय पर हटाया जाएगा। काम के दौरान निकलने वाले मलबे को नीचे लाया जाएगा और बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई जगह पर ही ठीक से रखा जाएगा।
6. काम में इस्तेमाल होने वाले सभी मटीरियल को पहले बैंक के इंजीनियर से मंज़ूर करवाना होगा। साइट पर डिलीवर किए गए मटीरियल के डिलीवरी चालान की कॉपी नियमित रूप से बैंक के इंजीनियर को जमा करनी होगी।
7. मटीरियल के ब्रांड का फ़ाइनल चुनाव सिर्फ़ बैंक करेगा। ठेकेदार को ऊपर मंज़ूर किए गए ब्रांड को ध्यान में रखकर ही अपनी दरें बतानी होंगी।
8. काम की देखरेख के लिए साइट पर पूरे समय के लिए अनुभवी साइट सुपरवाइज़र तैनात किए जाएँगे। वे बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार रोज़ाना प्रोग्रेस रिपोर्ट, मटीरियल की खपत का रजिस्टर, लेबर रिपोर्ट, सुरक्षा आदि बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
9. काम के दौरान, अगर बैंक की संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक किया जाएगा। इस शर्त का पालन न करने पर, बैंक ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर यह काम करवाएगा।
10. काम पूरा होने के बाद, पूरी जगह को बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार ठीक से साफ़ किया जाएगा और कोई मलबा आदि नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो बैंक फ़र्म के जोखिम और खर्च पर यह काम करवाएगा।
11. बताई गई दरों में जीएसटी शामिल नहीं होगा। भारत सरकार के मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार लागू जीएसटी प्रतिशत को निविदा की राशि के अंत में जोड़ा जाएगा।
12. बताई गई दरों में साइट की स्थितियों के अनुसार मज़बूत मचान का खर्च भी शामिल होगा।
13. निविदा भरने वाले को राज्य सरकार/केंद्र सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों के सभी नियमों और कानूनों का पालन करना होगा; बताई गई दरों में ऐसे खर्च शामिल होंगे और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक: नाम और पता

फ़ोन/मोबाइल नंबर.: ईमेल आईडी:

भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग नई दिल्ली

अन-प्राइस बिड
(आइटम की पूरी जानकारी के लिए)

काम का नाम: (1) एक सिक्योरिटी वॉच टावर बनाना और एमओबी, आरबीआई, नई दिल्ली में सिक्योरिटी एरिया में अंदर की बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर देना

मद सं,	सामान का विवरण	मात्रा	इकाई
1	**वॉच टावर और अंदर की बाउंड्री वॉल पर व्यू कटर शीट के लिए** एमएस **का काम:** ज़रूरी मोटाई की एमएस शीट और एमएस सेक्शन (जैसे एंगल, टी, चैनल, फ्लैट, प्लेट, स्क्वायर/गोल बार, स्क्वायर और गोल पाइप वगैरह) का इस्तेमाल करके बिल्ट-अप सेक्शन और फिक्स्ड फ्रेमिंग के लिए एमएस का काम करना, लगाना और बनाना। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से ठीक से वेल्डिंग करना, साथ ही अनुमोदित मेटल प्राइमर (ज़िंक क्रोमेट) लगाना और बाहरी सतह पर अनुमोदित मेक और शेड के अच्छी क्वालिटी वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट की दो कोट लगाना - यह सब बैंक के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा। (वॉच टावर के लिए सीढ़ी/लैडर साइट की ज़रूरत और हालात के हिसाब से बनाई जाएगी।) नोट: - असल मात्रा और नेट वज़न को मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। किसी भी बर्बादी, फिटिंग/फिक्स्चर, नट और बोल्ट वगैरह के लिए कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं किया जाएगा। जहाँ भी रनिंग फिलेट वेल्डिंग की ज़रूरत हो, वहाँ वेल्डिंग ठीक से की जानी चाहिए। ठेकेदार को ध्यान रखना होगा; इस मामले में किसी भी तरह की चूक/लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। मटीरियल आईएसआई मार्क वाला और अनुमोदित मेक का होना चाहिए, जैसे टाटा, सेल, जिंदल हिसार, जेएसएल या अनुमोदित समकक्ष वगैरह।	6600.00	केजी
2	**वॉच टावर के लिए फ़ाउंडेशन का काम:** लगभग 600x600x1000 मिमी साइज़ का आरसीसी पेडस्टल बनाना और लगाना, जिसमें जे-बोल्ट असेंबली, सभी मटीरियल, लेबर, टी एंड पी और अन्य ज़रूरी काम शामिल हैं। यह काम ड्रॉइंग और स्पेसिफ़िकेशन के अनुसार और बैंक के निर्देशानुसार किया जाएगा, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं: **क) खुदाई**: फ़ाउंडेशन के लिए ज़रूरी गहराई तक सभी तरह की मिट्टी (सॉफ़्ट रॉक सहित, लेकिन हार्ड रॉक को छोड़कर) की खुदाई करना। इसमें ड्रेसिंग, लेवलिंग, बॉटम को रैम करना, ज़रूरत पड़ने पर पानी निकालना और 4.00 हर एकक परिसर से अतिरिक्त खोदी गई मिट्टी को हटाना, **ख) पीसीसी**: लेवलिंग कोर्स के तौर पर एम (1:2:4) ग्रेड का प्लेन सीमेंट कंक्रीट (700x700x50मिमी मोटाई)	4.00	प्रत्येक

	लगाना। इसमें मशीन से मिक्सिंग, बिछाना, कॉम्पेक्शन, क्योरिंग और फ़िनिशिंग का पूरा काम शामिल है। **ग) आरसीसी पेडस्टल**: एम25 (1:1:2) ग्रेड का रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लगाना। इसमें मिक्सिंग, प्लेसिंग, मैकेनिकल वाइब्रेटर से कॉम्पेक्शन, फ़िनिशिंग और क्योरिंग का काम आईएस 456 के अनुसार पूरा करना शामिल है। **घ) रीइन्फोर्समेंट**: एचवाईएसडी/टीएमटी रीइन्फोर्समेंट स्टील की सप्लाई, कटिंग, बेंडिंग, सही जगह पर लगाना और बांधना। इसमें 4 वर्टिकल बार (12mm डायमीटर, 900mm लंबाई, दोनों सिरों पर 150 मिमी एल-बेंड) और हर पेडस्टल में 9 टाई (8mm डायमीटर) शामिल हैं, साथ ही बाइंडिंग वायर और कवर ब्लॉक भी। **ङ) सेंटरिंग और शटरिंग**: स्टेजिंग, ब्रेसिंग और सपोर्ट के साथ फ़ॉर्मवर्क लगाना और ठीक करना (लाइन, लेवल और प्लंब के अनुसार), और काम पूरा होने के बाद इसे हटाना। **च) जे-बोल्ट असेंबली**: 12 मिमी स्टील जे-टाइप एंकर बोल्ट (20 मिमी डायमीटर और ज़रूरत के अनुसार लंबाई, कंक्रीट में कम से कम 20 मिमी अंदर) की सप्लाई, फ़ैब्रिकेशन और फ़िक्सिंग। इसमें मशीन-कट थ्रेड्स, दो हेक्स नट और वॉशर, और एंबेडेड सिरे पर पहले से लगी 16 मिमी मोटी एमएस एंकर बेस प्लेट के साथ वेल्डिंग शामिल है। **छ) फ़िक्सिंग और अलाइनमेंट**: जे-बोल्ट को सही जगह पर लगाना (रिजिड स्टील टेम्प्लेट का इस्तेमाल करके) ताकि सेंटर-टू-सेंटर स्पेसिंग, लाइन, लेवल, वर्टिकैलिटी और पेडस्टल के ऊपर ज़रूरी प्रोजेक्शन सही रहे। इसमें कंक्रीटिंग के दौरान बोल्ट को हिलने से बचाने के लिए सुरक्षित करना और थ्रेड्स की सुरक्षा करना भी शामिल है। **ज) फिनिशिंग और क्योरिंग**: कंक्रीट की कम से कम 7-14 दिनों तक क्योरिंग करना और ऊपरी सतह को इतना चिकना और समतल बनाना कि उस पर उपकरण/बेस प्लेट लगाई जा सके। **झ) जे-बोल्ट और प्लेट की फिनिशिंग**: हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग या रेड ऑक्साइड प्राइमर की दो कोट और इनेमल पेंट की एक कोट लगाना। सभी तरह के खर्चों, जैसे कि ढुलाई, लिफ्टिंग, बर्बादी, टैक्स, रॉयल्टी और अन्य आकस्मिक खर्चों आदि को मिलाकर काम को पूरी तरह से पूरा करना; यह सब साइट की ज़रूरतों और निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।		
3	**फ़ैक्टरी में बनी सफ़ेद रंग की uPVC फ़िक्स्ड विंडो (साथ में दिए गए डिज़ाइन के अनुसार) लगाना और फ़िट करना। इसमें 12 मिमी का सिंगल टफ़न्ड ग्लास होगा। uPVC फ़िक्स्ड फ़्रेम का साइज़ 45x45 मिमी होगा, जिसमें uPVC मल्टी-चैम्बर फ़्रेम और एक्सट्रूडेड प्रोफ़ाइल होंगे।** इन्हें 1.60 ± 0.2 मिमी मोटे गैल्वेनाइज़्ड माइल्ड स्टील सेक्शन या मैन्युफ़ैक्चरर की ज़रूरतों के अनुसार (uPVC प्रोफ़ाइल के आकार और साइज़ के हिसाब से) मज़बूत किया जाएगा। इसमें सही साइज़ के uPVC एक्सट्रूडेड ग्लेज़िंग बीड्स और uPVC एक्सट्रूडेड इंटरलॉक, ईपीडीएम गैस्केट, वूल पाइल, ज़िंक अलॉय (पाउडर कोटेड) बॉडी वाले सिंगल नायलॉन रोलर्स (सही वज़न उठाने की क्षमता वाले) होंगे। फ़्रेम को फ़िनिश्ड सतह पर लगाने के लिए GI फ़ास्टनर और ज़रूरी स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि का इस्तेमाल होगा। फ़्रेम की प्रोफ़ाइल को सभी कोनों पर माइटर्ड कट और	4.50	एसक्यूएम

	फ़्यूज़न वेल्ड किया जाएगा, साथ ही हार्डवेयर और पानी की निकासी आदि के लिए छेद भी किए जाएंगे। फ़्रेम लगाने के बाद, फ़्रेम और आस-पास की सतह के बीच की जगह को सही साइज़ और मंज़ूर क्वालिटी की बैकर रॉड के ऊपर वेदरप्रूफ़ सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाएगा। इसमें सभी ऊँचाइयों और स्तरों पर काम करने के लिए ज़रूरी मचान, औज़ार और उपकरण आदि शामिल होंगे। यह सब बैंक के मंज़ूर किए गए ड्रॉइंग और निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा। प्रोफ़ाइल के साइज़ में ज़्यादा होने पर उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। नोट: वेंडर को साइट का दौरा करना होगा और साइट की स्थितियों/सतह के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी जहाँ uPVC विंडो लगाई जानी हैं।		
4	**फ़ैक्टरी में बने uPVC सफ़ेद रंग के केसमेंट/केसमेंट-कम-फ़िक्स्ड ग्लेज्ड दरवाज़े की सप्लाई और फिक्सिंग।** इसमें uPVC मल्टी-चैम्बर फ़्रेम, सैश और मुलियन (जहाँ ज़रूरत हो) एक्सट्रूडेड प्रोफ़ाइल शामिल हैं, जिन्हें 1.60 ± 0.2 मिमी मोटे गैल्वेनाइज़्ड माइल्ड स्टील सेक्शन (uPVC प्रोफ़ाइल के आकार और साइज़ के अनुसार) से मज़बूत किया गया है। साथ ही, सही साइज़ की uPVC एक्सट्रूडेड ग्लेजिंग बीड्स, ईपीडीएम गैस्केट, ज़िंक अलॉय (सफ़ेद पाउडर कोटेड) 3D हिंज और पैनल के दोनों तरफ़ एक हैंडल भी शामिल है। इसके अलावा, ज़िंक प्लेटेड माइल्ड स्टील मल्टी-पॉइंट लॉकिंग सिस्टम (जिसमें ट्रांसमिशन गियर, सिलेंडर, कीप्स और एक तरफ़ चाबी वाला लॉक हो), फ़्रेम को तैयार दीवार पर लगाने के लिए GI फ़ास्टनर और ज़रूरी स्टेनलेस स्टील स्क्रू आदि भी शामिल हैं। फ़्रेम और सैश की प्रोफ़ाइल को सभी कोनों पर माइटर्ड कट और फ़्यूज़न वेल्ड किया जाएगा; मुलियन (अगर ज़रूरत हो) को भी फ़्यूज़न वेल्ड किया जाएगा, जिसमें हार्डवेयर लगाने और पानी की निकासी आदि के लिए छेद करना भी शामिल है। इस काम में uPVC दरवाज़े में ग्लेजिंग के लिए 12mm टफन्ड ग्लास की सप्लाई और असेंबली भी शामिल है। फ़्रेम लगाने के बाद, फ़्रेम और बगल की तैयार दीवार के बीच की जगह को सही साइज़ और मंज़ूर क्वालिटी की बैकर रॉड के ऊपर वेदरप्रूफ़ सिलिकॉन सीलेंट से भरा जाएगा। इसमें सभी ऊँचाइयों और स्तरों पर काम करने के लिए ज़रूरी मचान, औज़ार और अन्य सामान भी शामिल हैं। बैंक के मंज़ूर किए गए ड्रॉइंग और निर्देशों के अनुसार पूरा काम। काम हर तरह से पूरा होना चाहिए, जिसमें सभी मटीरियल, लेबर, अन्य खर्च, टैक्स और सीपीओएएच की सप्लाई शामिल है; इस काम के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रोफ़ाइल के साइज़ में ज़्यादा तरफ़ का अंतर स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। नोट: uPVC फ़्रेम, सैश, मुलियन और लॉक रेल लेवल पर ट्रांसॉम के लिए, एक्सट्रूडेड प्रोफ़ाइल के साइज़ में 5% तक की कमी (यानी प्रोफ़ाइल की गहराई और चौड़ाई में) स्वीकार्य होगी। 3डी हिंज वाला केसमेंट दरवाज़ा, जिसमें फ़्रेम 67 x 64 मिमी और सैश 67 x 110 मिमी का हो, और	2.1	एसक्यूएम

	दोनों की दीवार की मोटाई 2.3 ± 0.2 मिमी हो; साथ ही सही साइज़ की सिंगल ग्लेजिंग बीड / डबल ग्लेजिंग बीड हो।		
5	**डिज़ाइन/आकार के अनुसार कम से कम 0.5मिमी मोटाई वाली (पीपीजीएल/पीपीजीआई) टाइल प्रोफ़ाइल/मैंगलोर रूफ़िंग टाइल शीट लगाना और फिक्स करना।** इसके लिए अच्छी क्वालिटी वाले ईपीडीएम वॉशर हेडेड सेल्फ-ड्रिलिंग फास्टनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इंस्टॉलेशन में ज़रूरी ओवरलैप, फैक्ट्री में बनी रिज और वैली गटर (जहाँ लागू हो) शामिल हैं। साथ ही, सभी ऊंचाइयों और स्तरों पर फिक्सिंग के लिए ज़रूरी मचान, टूल्स और अन्य सामान भी शामिल हैं। यह सब ड्राइंग और साइट की ज़रूरतों के अनुसार पूरा किया जाएगा। नोट: छत के एरिया को फ्लैट एरिया के तौर पर मापा जाएगा, जिसमें ओवरलैप, रिज और हिप्स भी शामिल होंगे।	13.00	एसक्यूएम
6	च्ड टेप कॉन्सर्टिना कॉइल (600मिमी व्यास, 10 मीटर खुलने वाली लंबाई, कुल लंबाई 90 मीटर) के साथ कॉन्सर्टिना कॉइल फेंसिंग लगाना और ठीक करना। इसमें हर 6 मीटर लंबाई में 50 राउंड होंगे, और Y-आकार के एंगल आयरन 2 मीटर की दूरी पर लगे होंगे। साथ ही, 9 हॉरिजॉन्टल आर.बी.टी. (रीइन्फोर्स्ड बार्ब्ड टेप) तार होंगे जिन्हें जी.आई. स्टेपल्स और जी.आई. क्लिप्स से बांधा जाएगा ताकि वे अपनी जगह पर बने रहें। इसमें एंगल आयरन से बांधने के लिए ज़रूरी बोल्ट या जी.आई. बार्ब्ड तार भी शामिल हैं। साथ ही, सभी ऊंचाइयों और स्तरों पर इसे लगाने के लिए ज़रूरी मचान, औज़ार और अन्य सामान भी शामिल हैं। यह सब साइट की ज़रूरत और बैंक के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।	100.00	आरएमटी
	जीएसटी @ 18% और सीपीओएएच सहित कुल राशि		

नोट:

i. रेट में सभी लागू कानूनी लेवी/टैक्स (जीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी) और बोली लगाने वाले को सरकारी अधिकारियों को चुकाने योग्य सभी कानूनी बकाया राशि शामिल होनी चाहिए।

ii. भाग-II में कोई शर्त, अलग से शर्त वाले नोट आदि नहीं जोड़े जाने चाहिए।

iii. कृपया केवल एमएसटीसी पोर्टल पर दिए गए फ़ॉर्मेट का ही इस्तेमाल करें।

iv. ऊपर बताई गई कुल बोली राशि के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं दिया जाएगा।

v. रेट दशमलव के दो स्थानों तक बताए जाने चाहिए।

vi. बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राइस बिड जमा करने से पहले साइट का दौरा करें ताकि वे साइट की स्थितियों से परिचित हो सकें और काम के दायरे को समझ सकें।

vii. टेक्निकल बिड (भाग-I) में बताई गई सभी शर्तें प्राइस बिड का भी हिस्सा होंगी। इसलिए, बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपने रेट बताएं।

स्थान: निविदाकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर
दिनांक: